



भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे भर्ती बोर्ड
केंद्रीकृत रोजगार सूचना
सीईएन सं. 04/2025



सेक्शन कंट्रोलर



केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 04/2025



भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे भर्ती बोर्ड



सेक्शन कंट्रोलर के लिए केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या सीईएन 04/2025
महत्वपूर्ण तिथियां

सांकेतिक सूचना की तिथि	23.08.2025
आरआरबी वेबसाइटों पर प्रकाशन की तिथि	14.09.2025
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत	15.09.2025
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	14.10.2025 (23:59 बजे)
शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि समापन तिथि के बाद (23:59 बजे)	16.10.2025
संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथि (कृपया ध्यान दें: 'खाता बनाएं' फॉर्म में भरे गए विवरण और चुने गए आरआरबी को संशोधित नहीं किया जा सकता है)	17.10.2025 से 26.10.2025 तक
वे तिथियां जिनके दौरान पात्र उम्मीदवारों को आवेदन पोर्टल पर अपने स्क्राइब का विवरण प्रदान करना होगा	27.10.2025 से 31.10.2025 तक

(विशेष सूचना: किसी भी संदेह अथवा विरोधाभास की परिस्थिति में अंग्रेजी वर्तन मान्य होगा)

टिप्पणी:-

सीबीटी और भर्ती प्रक्रिया के अन्य चरणों की तिथियां समय-समय पर रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की वेबसाइटों के माध्यम से सूचित की जाएंगी, जैसा कि इस नोटिस के पैरा D 16.0 में सूचीबद्ध है।

- भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रीय रेलों में सेक्शन कंट्रोलर के पदों के लिए, रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) द्वारा पात्र भारतीय नागरिकों और इस केंद्रीय भर्ती अधिसूचना के पैरा D 4.0 में उल्लिखित अन्य नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र, चयनित रेलवे भर्ती बोर्ड को 14.10.2025 को 23:59 बजे तक ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए।
- सीबीटी और एम्प्लॉयमेंट के परिणाम संबंधित आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड किए जाएंगे।

A. रिक्तियों का विवरण एक नज़र में

स्नातक पद, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विश्वविद्यालय डिग्री या इसके समकक्ष और आयु 20 से 33 वर्ष के बीच 01.01.2026 तक.

क्रम. सं.	पद का नाम	स्तर- 7वे वेतन आयोग के अनुसार	प्रारंभिक वेतन (रु.)	चिकित्सा मानक	सामान्य पाठ्यक्रम में निर्धारित आयु (01.01.2026 तक)	कुल रिक्तियां(सभी आरआरबी)
1	सेक्शन कंट्रोलर	6	35400	ए-2	20-33 साल	368
(आरआरबी-वाइज और रेलवे जॉन-वार रिक्तियों का विस्तृत वितरण अनुलग्नक-बी में दिया गया है)						

- नोट: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर), ईडब्ल्यूएस, भूतपूर्व सैनिक, पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षण और आयु में छूट इस सीईएन में निहित विवरण के अनुसार लागू होगी।

B. महत्वपूर्ण निर्देश- ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन का जमा करना

- 1) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् 14.10.2025 तक पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
- 2) ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आरआरबी की वेबसाइटों पर उपलब्ध सीईएन में सभी निर्देशों और सूचनाओं को अच्छी तरह से पढ़ लें।
- 3) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर ही जाएं, जैसा कि पैरा में दर्शाया गया है।
इस सीईएन के D16 को पढ़ें और फर्जी वेबसाइटों और नौकरी जालसाजों के बारे में बहुत सावधान रहें।
- 4) उम्मीदवारों के पास अपना मोबाइल नंबर, वैध और सक्रिय व्यक्तिगत ईमेल आईडी होनी चाहिए और उन्हें भर्ती की पूरी अवधि के दौरान इसे (अर्थात् मोबाइल और ईमेल) सक्रिय रखना होगा क्योंकि आरआरबी भर्ती पूरी होने तक सभी भर्ती संबंधी संचार केवल एसएमएस और ईमेल के माध्यम से ही भेजेंगे। आरआरबी किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ईमेल पते में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेंगे।
- 5) आवेदन केवल ऑनलाइन और केवल आरआरबी वेबसाइटों के माध्यम से ही जमा किए जाने हैं, जैसा कि पैरा D16 में सूचीबद्ध है। इस सीईएन में सभी अधिसूचित पदों के लिए चयनित आरआरबी को केवल एक ही आवेदन जमा करना आवश्यक है। उम्मीदवार केवल एक ही आरआरबी में आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक आरआरबी में आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। इस सीईएन के विरुद्ध किसी भी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा करने का प्रयास करने पर उसे आरआरबी और आरआरसी की सभी भविष्य की परीक्षाओं से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसे परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा।
- 6) उम्मीदवारों को पद मानदंड तालिका (अनुलग्नक-ए) और रिक्ति तालिका (अनुलग्नक-बी) को ध्यान से पढ़ना होगा और अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी होगी। उसके बाद ही, उम्मीदवारों को अपनी पात्रता के अनुसार चुने गए आरआरबी और उसके अंतर्गत आने वाले ज़ोन के लिए विकल्प चुनना चाहिए। एक बार चुने गए आरआरबी का चयन अंतिम होगा।

- 7) ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवारों द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर उम्मीदवारों की पात्रता अंतिम मानी जाएगी। आरआरबी पात्रता के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा, इसलिए, आवश्यकतानुसार बुनियादी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन उम्मीदवारी केवल अंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता, आयु, चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं को देखना होगा और खुद को संतुष्ट करना होगा कि वे पद के लिए पात्र हैं। आरआरबी द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय उनकी शैक्षिक योग्यता और आयु/जाति/श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाण पत्र/दस्तावेज मांगे जाएंगे। सैयो/आयु/जाति/श्रेणी आदि के प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई भी दावा प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों से पुष्ट नहीं होता है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, भर्ती के किसी भी चरण के दौरान या उसके बाद भी, यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार के बारे में कोई जानकारी झूठी/गलत है या यदि उम्मीदवार ने कोई प्रासंगिक जानकारी छिपाई है या उम्मीदवार पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत खारिज कर दी जाएगी।
- 8) एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/ईबीसी/पीडब्ल्यूबीडी स्थिति या किसी अन्य लाभ जैसे शुल्क रियायत, आरक्षण, आयु-छूट आदि के दावे के लिए महत्वपूर्ण तिथि, जहां अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, इस सीईएन के लिये ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी।
- 9) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांगजन के लिए लागू आरक्षण/छूट का लाभ चाहने वाले सभी उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे नियमों/सीईएन में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/छूट के हकदार हैं। उनके पास नियमों और सीईएन में निर्धारित अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र होने चाहिए।
- 10) उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानक पूरे करते हैं। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना होगा कि यदि नियुक्ति से पहले मेडिकल परीक्षण के समय उम्मीदवार चुने गए पद के लिए चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उसे वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी।
- 11) सीबीटी/सीबीएटी के लिए केंद्र/शहर आवंटन और तारीख तकनीकी और व्यावहारिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। उम्मीदवारों को सीबीटी/सीबीएटी में भाग लेने के लिए अन्य शहरों/राज्यों की यात्रा करनी पड़ सकती है। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र बदलने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 12) अंतिम क्षण की भीड़ से बचने के लिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ही पंजीकरण करा लें तथा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर दें, क्योंकि ऑनलाइन पंजीकरण के अंतिम दिनों में इंटरनेट या वेबसाइट पर अत्यधिक लोड के कारण संबंधित आरआरबी की वेबसाइट पर लॉग ऑन करने में असमर्थता/असफलता की संभावना हो सकती है।

आरआरबी उपरोक्त कारणों या किसी अन्य कारण से अंतिम दिन के भीतर पंजीकरण करने और/या अपना आवेदन जमा करने में असमर्थ उम्मीदवारों के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

- 13) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में, "खाता बनाएँ" चरण के दौरान डिजी लॉकर या आधार का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित करें। यदि वे इस चरण से चूक गए हैं, तो वे ऑनलाइन आवेदन विवरण भरने की प्रक्रिया के दौरान "आधार सत्यापित करें" सुविधा का उपयोग करके और अपने आधार विवरण प्रदान करके अभी भी प्रमाणीकरण कर सकते हैं। किसी विशेष सीईएन के लिए आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने से पहले यह पूरा किया जाना चाहिए। इससे उम्मीदवारों के लिए भर्ती के विभिन्न चरणों में एक सुगम प्रक्रिया संभव होगी। यदि आवेदक अपनी पहचान और अन्य प्राथमिक विवरणों को वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों से सत्यापित करते हैं, तो भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उनकी काफी सख्त और विस्तृत जांच की जाएगी।
- 14) ऑनलाइन आवेदन के दौरान, उम्मीदवारों को एक खाता बनाने के लिए कहा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार ने पहले ही आरआरबी सीईएन के दौरान एक खाता बना लिया है, तो उन्हें इस सीईएन (अर्थात, सीईएन संख्या 04/2025) के लिए भी लॉग इन करने और आवेदन करने के लिए उसी खाते के क्रेडेंशियल्स का उपयोग करना चाहिए। यदि उम्मीदवारों ने पहले कोई खाता नहीं बनाया है, तो उन्हें इस सीईएन के लिए आवेदन भरने से पहले 'एक खाता बनाएँ' होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे खाता बनाने के लिए आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानी से भरें, क्योंकि खाता बन जाने के बाद किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं होगी। खाता बनने के बाद 'खाता बनाएँ' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) को किसी भी स्तर पर संशोधित नहीं किया जा सकता है।

- 15) ऑनलाइन आवेदन जमा करने और लागू शुल्क का भुगतान करने के बाद, यदि कोई उम्मीदवार किसी भी विवरण ('खाता बनाएँ' फॉर्म और चुने गए आरआरबी में भरे गए विवरणों को छोड़कर) में और संशोधन करना चाहता है, तो वह 17.10.2025 से 26.10.2025 तक प्रत्येक अवसर के लिए 250/- रुपये (वापसी योग्य नहीं) का संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकता है। 'खाता बनाएँ' फॉर्म (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित) और चुने गए आरआरबी में भरे गए विवरण नहीं बदले जा सकते।
- 16) 26.10.2025 के बाद, आरआरबी आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेंगे।

C. महत्वपूर्ण निर्देश - परीक्षा प्रक्रिया

- 1) **कदाचार:** यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा/सीबीटी में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ, अपने स्थान पर किसी अन्य को परीक्षा में बैठाता हुआ, या किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करने का प्रयास करता हुआ पाया जाता है, तो उसे आजीवन सभी आरआरबी/आरआरसी (रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ) की परीक्षाओं में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा। उसे रेलवे में किसी भी प्रकार की नियुक्ति से भी वंचित कर दिया जाएगा, और यदि वह पहले ही नियुक्त हो चुका है, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों पर कानूनी मुकदमा भी चलाया जा सकता है। [ध्यान दें: "सार्वजनिक परीक्षा" (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024, जो 21.06.2024 से प्रभावी है], पर उपलब्ध है। sansad.in/legislation/bills और भारत का राजपत्र dopt.gov.in/what's-new पर भी उपलब्ध है।
- 2) **प्रतिबंधित वस्तुएँ:** मोबाइल फोन, पेजर, घड़ियां, ईयरफोन, ब्लूटूथ सक्षम डिवाइस, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड, कैलकुलेटर, किताब, पेन, पेपर, पेंसिल, इरेजर, पाउच, स्केल, राइटिंग-पैड, बेल्ट, हैंडबैग, टोपी, पर्स, कैमरा, पानी की बोतल, पैकेज्ड/खुले खाद्य पदार्थ इत्यादि जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा केंद्र के अंदर केवल ई-कॉल लेटर की अनुमति होगी। उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र के अंदर कोई पेन/पेंसिल नहीं ले जाना चाहिए। परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को पेन उपलब्ध कराया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हाथों/पैरों पर मेंहदी न लगाएं क्योंकि इससे बायोमेट्रिक्स लेने में बाधा आती है। इस निर्देश का कोई भी उल्लंघन भविष्य की परीक्षाओं से रोक सहित कानूनी कार्रवाई के अलावा संक्षेप में अस्वीकृति का कारण बनेगा। उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है।
- 3) **परीक्षा के चरण:** इसमें एकल चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) होगी, जिसके बाद कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा (सीबीएटी) और दस्तावेज सत्यापन (डीवी) तथा चिकित्सा परीक्षा होगी।
- 4) **कॉल लेटर:** अभ्यर्थियों को आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध कराए गए लिंक से शहर और तिथि की सूचना, ई-कॉल लेटर और यात्रा प्राधिकरण (जहां भी लागू हो) डाउनलोड करना होगा।
- 5) **विभिन्न चरणों के लिए शॉर्टलिस्टिंग:**
 - a. सीबीएटी के लिए चयन, एकल चरण सीबीटी में अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों में से रिक्तियों के 8 गुना तक होगा (रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार इसमें वृद्धि या कमी हो सकती है)।
 - b. दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग, उस आरआरबी की रिक्तियों के 1:1 के अनुपात में, आरआरबी-वाइज की जाएगी। यह सीबीटी और सीबीएटी की संयुक्त मेरिट के आधार पर होगी। संयुक्त मेरिट में सीबीटी को 70% और सीबीएटी को 30% वेटेज दिया जाएगा। केवल सीबीएटी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों पर ही विचार किया जाएगा।
 - c. **नकारात्मक अंकन:** सीबीटी में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंकों में से 1/3 अंक की कटौती की जाएगी।
 - d. कई पालियों में आयोजित सीबीटी के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा।
 - e. डीवी के लिए चुने गए उम्मीदवारों को आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों के साथ-साथ एसएमएस और ईमेल (उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर) के माध्यम से डीवी में उपस्थित होने के लिए ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए सूचित किया जाएगा।

D. विस्तृत केंद्र

केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 04/2025 पृष्ठ4/57

1.0 सामान्य निर्देश

- 1.1 भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा, बशर्ते कि अभ्यर्थी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता हो।
- 1.2 उम्मीदवारों को केवल ई-कॉल लेटर जारी करने का अर्थ यह नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा के समय, उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति देने से पहले, उनके फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की उपयुक्तता, प्रामाणिकता और वास्तविकता के साथ-साथ उनके अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की भी जाँच की जाएगी। उम्मीदवारों के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रामाणिकता के साथ, भर्ती के अगले चरणों में किया जाएगा।
- 1.3 आरआरबी पात्रता शर्तों (मूल दस्तावेजों के संदर्भ में) का सत्यापन केवल तभी करते हैं जब उम्मीदवार परीक्षा के सभी चरणों में उत्तीर्ण हो जाते हैं और दस्तावेज सत्यापन के लिए अनंतिम रूप से चुने जाते हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय, आरआरबी उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत मूल सहायक दस्तावेजों के विरुद्ध ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरणों का सत्यापन करेगा। आवेदन में घोषित जानकारी और सहायक दस्तावेजों के बीच कोई भी विसंगति या पात्रता मानदंडों (जैसे शैक्षिक/तकनीकी योग्यता, आयु, जाति/श्रेणी, चिकित्सा मानक आदि) को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी। इसके अलावा, यदि भर्ती के किसी भी चरण में या बाद में, यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने गलत जानकारी दी है या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है, तो उनकी उम्मीदवारी या नियुक्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी, और यदि नियुक्त की गयी है, तो ऐसे उम्मीदवारों को तुरंत सेवा से हटा दिया जाएगा और इसके अलावा, ऐसे उम्मीदवारों को आरआरबी और आरआरसी की सभी भविष्य की परीक्षाओं से आजीवन वंचित भी किया जाएगा।
- 1.4 इस अधिसूचना के अंतर्गत पद हेतु आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आयु, शैक्षिक योग्यता और चिकित्सा मानक सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् 14.10.2025 तक उनके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से अपेक्षित शैक्षिक योग्यताएँ हों। जो लोग निर्धारित योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे पात्र नहीं हैं और इसलिए उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।
- 1.5 जो अभ्यर्थी सूचना और/या तथ्यों में मामूली परिवर्तन के साथ एक से अधिक आरआरबी में आवेदन करने का प्रयास कर रहे हैं और/या एक ही आरआरबी में एक से अधिक आवेदन कर रहे हैं, उनके आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को आरआरबी और आरआरसी की सभी भावी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
- 1.6 जिन उम्मीदवारों को किसी भी आरआरबी/आरआरसी द्वारा आजीवन या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए, जो अभी पूरी नहीं हुई है, प्रतिबंधित किया गया है, उन्हें इस अधिसूचना के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए। भर्ती के किसी भी चरण में, यदि ऐसा पाया जाता है, तो उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।
- 1.7 जिन अभ्यर्थियों को भारत सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू/किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, वे पात्र नहीं हैं और उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।
- 1.8 अभ्यर्थी को खाता बनाते समय ऑनलाइन आवेदन में अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्मतिथि एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज करनी चाहिए।
- 1.9 एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिकुलेशन/दसवीं कक्षा के प्रमाणपत्र में उल्लिखित नाम के संबंध में नाम में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में, उम्मीदवार को अपना परिवर्तित नाम और साथ ही अपना एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिकुलेशन/दसवीं कक्षा का नाम ऑनलाइन आवेदन में उचित स्थानों पर अलग से अंकित करना होगा। हालाँकि, अन्य सभी विवरण एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिकुलेशन/दसवीं कक्षा या समकक्ष प्रमाणपत्र से मेल खाने चाहिए और ऐसे परिवर्तन की तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि से पहले की होनी चाहिए।
- 1.10 ऐसे मामलों में, राजपत्र अधिसूचना या कोई अन्य कानूनी दस्तावेज, जो लागू हो, तथा परिवर्तित नाम के साथ कोई एक वैध फोटो पहचान पत्र, सीवीटी/दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

- 1.11 अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पैरा में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपनी लाइव इमेज अपलोड करें। 14.4.0, और पैरा 14.5.0 में उल्लिखित मानक विनिर्देशों के अनुसार अपने स्वयं के हस्ताक्षर, धुंधले, अपठनीय या गैर-मानक फोटो और/या हस्ताक्षर वाले आवेदनों को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अस्वीकार किया जा सकता है।
- 1.12 भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में सभी दस्तावेजों पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर एक समान और एक जैसे होने चाहिए और उन्हें बड़े अक्षरों में नहीं, बल्कि रनिंग हैंड में लिखा जाना चाहिए। सीबीटी, कंप्यूटर आधारित सीबीएटी, दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा आदि के समय अलग-अलग शैली में हस्ताक्षर करने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
- 1.13 परीक्षाओं की तिथियां भाग लेने वाले रेलवे भर्ती बोर्डों की वेबसाइटों पर प्रकाशित की जाएंगी। सीबीटी, सीबीएटी और दस्तावेज सत्यापन (जहां लागू हो) के लिए ई-कॉल लेटर केवल संबंधित रेलवे भर्ती बोर्डों की वेबसाइटों से ही डाउनलोड किए जाने चाहिए। कोई भी कॉल लेटर डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। ई-कॉल लेटर में दर्शाया गया सीबीटी केंद्र, तिथि और पाली अंतिम होगी। किसी भी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड बिना कोई कारण बताए अतिरिक्त सीबीटी/सीबीएटी और/या अतिरिक्त दस्तावेज सत्यापन आदि शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- 1.14 इस केंद्रीय सूचना कार्यालय में दर्शाई गई रिक्तियाँ अनंतिम हैं और रेल प्रशासन की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर बाद में कुल मिलाकर या विशिष्ट रेलों/इकाइयों/समुदायों में इनमें कोई परिवर्तन (वृद्धि/कमी) हो सकती है या ये शून्य भी हो सकती हैं। इसके अलावा, यदि रेलवे(रेलों) को आवश्यकता हो, तो बाद में अतिरिक्त पद भी शामिल किए जा सकते हैं।
- रेलवे प्रशासन अपने विवेकानुसार किसी भी स्तर पर अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ऐसा निर्णय अंतिम और सभी के लिए बाध्यकारी होगा। अधिसूचित रिक्तियों के रद्द होने की स्थिति में, प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को छोड़कर, उम्मीदवारों द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। (वापसी की राशि के लिए कृपया पैरा 7.3 देखें)
- 1.15 **रेलवे जोन के लिए वरीयता:**
- भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों के पूरा होने पर, आरआरबी केवल योग्यता, चिकित्सा मानक और रिक्ति की स्थिति के अधीन पात्र उम्मीदवारों के विकल्प के अनुसार रेलवे जोन आवंटित करेंगे।
- हालांकि, यदि प्रशासनिक हित में आवश्यक समझा जाए तो रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवारों द्वारा न चुने गए रेलवे जोन को भी आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, बशर्ते कि उम्मीदवार आवंटित पद की आवश्यकताओं को पूरा करते हों।
- उम्मीदवारों के पैनल में कमी या अन्य आपातस्थितियों के मामले में, आरआरबी उम्मीदवारों की योग्यता और रेलवे विकल्प के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो मेरिट सूची में नीचे के उम्मीदवारों का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 1.16 **नियुक्ति का अधिकार:** आरआरबी द्वारा चयन से उम्मीदवारों को रेलवे में नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिलता। आरआरबी का कार्य उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा क्षेत्रीय रेलवे के संबंधित प्राधिकारियों को करना है, जो रिक्तियों की उपलब्धता और उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त एवं चरित्र सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन नियुक्ति पत्र जारी करेंगे।
- 1.17 चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा प्रशिक्षण अवधि के दौरान केवल लागू वजीफा ही दिया जाएगा।
- 1.18 चयनित अभ्यर्थियों को रेलवे में कार्यभार ग्रहण करते समय आवश्यकतानुसार जमानत और/या क्षतिपूर्ति बांड भरना होगा।

- 1.19 **प्रविष्टि:** सामान्यत, रेलवे कर्मचारी अपनी पूरी सेवाकाल में उसी रेलवे या रेलवे प्रतिष्ठान में नियोजित रहेगा, जहां उसे प्रथम नियुक्ति पर तैनात किया गया है, तथा उसे किसी अन्य रेलवे या प्रतिष्ठान में स्थानांतरण का कोई अधिकार नहीं होगा।
- तथापि, सेवा की अनिवार्यताओं के आधार पर सक्षम प्राधिकारी रेलवे कर्मचारी को भारत में या भारत से बाहर किसी परियोजना सहित किसी अन्य विभाग या रेलवे या रेलवे प्रतिष्ठान में स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा। नवनियुक्त उम्मीदवार द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण करने तक अन्य रेलवे में स्थानांतरण हेतु कोई अनुरोध पंजीकृत नहीं किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आरआरबी का चयन पूरी सावधानी और विचार के साथ करें।
- 1.20 अंतिम रूप से नियुक्त चयनित अभ्यर्थी प्रादेशिक सेना की रेलवे इंजीनियर्स इकाई में सक्रिय सेवा के लिए उत्तरदायी होंगे।
- 1.21 **निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा:** निःशुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए, अनुरोध करने पर, स्वीकार्य है। निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण का लाभ उठाने के इच्छुक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में संबंधित कॉलम में हाँ दर्शाना होगा और वैध जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। ऐसे उम्मीदवारों के लिए, निःशुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास, भर्ती के विभिन्न चरणों जैसे कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी), कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा (सीबीएटी), दस्तावेज सत्यापन आदि के लिए बुलाए जाने पर ई-कॉल लेटर का एक हिस्सा होगा, जो ऑनलाइन आवेदन में दिए गए और अपलोड किए गए विवरणों के अनुसार होगा। निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण का लाभ उठाने वाले उम्मीदवारों की यह जिम्मेदारी है कि वे ऑनलाइन आवेदन में रेलवे स्टेशन का सही नाम दें, अन्यथा उनका यात्रा प्राधिकरण यात्रा और आरक्षण प्राप्त करने के लिए मान्य नहीं हो सकता है।
- आरक्षण प्राप्त करते समय और यात्रा करते समय, आरक्षण क्लर्क और/या टिकट जाँच कर्मचारी उम्मीदवार की वास्तविकता की पुष्टि के लिए मूल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय प्रमाण पत्र मांगेंगे। इस यात्रा अधिकार का दुरुपयोग करने का कोई भी प्रयास भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी को अस्वीकार कर देगा और आरआरबी/आरआरसी द्वारा आयोजित भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर देगा।
- 1.22 आरआरबी को इस सीईएन के तहत भर्ती के नियमों और शर्तों में आवश्यकतानुसार और लागू होने पर किसी भी परिवर्तन / संशोधन / परिवर्धन को शामिल करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 1.23 आरआरबी, आरआरबी की चयन प्रक्रिया में, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में, जिसमें पोस्ट एम्पैनलमेंट भी शामिल है, या रेलवे में उम्मीदवार की नियुक्ति के बाद भी, किसी भी अनजाने त्रुटि/मुद्रण संबंधी गलती पाए जाने पर, परिणाम रद्द/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, आरआरबी ऐसे उम्मीदवारों को चयन पैनल से हटाने और रेलवे से उनकी नियुक्ति रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यदि वे पहले ही नियुक्त हो चुके हैं, तो उन्हें रेलवे सेवा से हटाया जा सकता है।
- 1.24 आरआरबी, उम्मीदवारों की सहमति से, उनके द्वारा आरआरबी परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को अपने संगठनों में भर्ती के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी संगठनों के साथ साझा कर सकते हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन भरते समय इसके लिए अपनी सहमति दे सकते हैं या अन्यथा।
- 1.25 **अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है:** अपने हित में, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले ही अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें और अंतिम समय में किसी भी तरह की हड़बड़ी से बचें। अंतिम दिनों में इंटरनेट या वेबसाइट पर अत्यधिक ट्रैफिक की संभावना के कारण यह सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।
- अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन:** सीईएन 04/2025 के आवेदन जमा करने से संबंधित प्रश्नों के लिए (सभी कार्य दिवसों में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक):
ईमेल: rrb.help@csc.gov.in
फ़ोन: 9592001188 / 01725653333
- 1.26 यदि उम्मीदवार किसी भी कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं कर पाते हैं तो आरआरबी जिम्मेदार नहीं होगा।

2.0 रिक्तियां

- 2.1 विभिन्न पदों के लिए मानदंड (योग्यता, चिकित्सा मानक और पद की उपयुक्तता आदि) इस सीईएन में शामिल। अनुलग्नक-ए में दिए गए हैं।
- 2.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर), ईडब्ल्यूएस, भूतपूर्व सैनिक, पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षण सहित अधिसूचित पद के लिए आरआरबी, रेलवे और पदवार रिक्तियां अनुलग्नक बी में दी गई हैं।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार इन रिक्तियों में वृद्धि या कमी हो सकती है।

3.0 पदों के लिए चिकित्सा मानक

- 3.1 दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित चिकित्सा योग्यता परीक्षण (परीक्षणों) में उत्तीर्ण होना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार अपने द्वारा चुने गए पद से संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ हैं। दृश्य तीक्ष्णता मानक रेलवे कर्मचारियों की चिकित्सा योग्यता के महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है। चिकित्सा मानक नीचे दिए गए हैं:

क्रम. सं	चिकित्सा मानक	सामान्य फिटनेस	दृश्य तीक्ष्णता
1	ए-2	शारीरिक रूप से सभी प्रकार से उपयुक्त	दूर दृष्टि: 6/9, चश्मे के बिना 6/9 (कोई फॉगिंग परीक्षण नहीं)। पास में दृष्टि: एस.एन. 0.6, 0.6 बिना चश्मा तथा रंगीन दृष्टि, दूरबीन दृष्टि, रात्रि दृष्टि और निकट दृष्टि के लिए परीक्षण पास करना होगा।

नोट: (क) उपरोक्त चिकित्सा मानक सांकेतिक हैं, संपूर्ण नहीं और सामान्यतः सभी उम्मीदवारों पर लागू होते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस पुस्तक का अध्याय 5 अवश्य पढ़ें। भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल (आईआरएमएम) खंड , जिसे यहां से भी एक्सेस किया जा सकता है (www.indianrailways.gov.in → रेल मंत्रालय → रेलवे बोर्ड → स्वास्थ्य निदेशालय)।

(ख) जिन अभ्यर्थियों ने दृष्टी दोष को ठीक करने के लिए लेसिक सर्जरी या कोई अन्य सर्जरी प्रक्रिया करवाई है, वे इस सीईएन में मेडिकल मानक ए-2 वाले पद के लिए पात्र नहीं हैं।

- 3.2 भूतपूर्व सैनिकों पर विभिन्न चिकित्सा मानक लागू होंगे, जैसा कि भारतीय रेलवे चिकित्सा नियमावली (आईआरएमएम) खंड I के पैरा 534 में विस्तृत रूप से बताया गया है, जिसे यहां देखा जा सकता है www.indianrailways.gov.in
- 3.3 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे अपने द्वारा चुने गए पद के लिए चिकित्सा मानकों के अनुसार पात्र हैं। यदि अभ्यर्थी चयनित पद के लिए निर्धारित मेडिकल फिटनेस परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसे उस पद के लिए पैनल में शामिल करने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा तथा कोई वैकल्पिक नियुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी।
- 3.4 जो अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान करके निर्धारित समय सीमा के भीतर चिकित्सा अपील का विकल्प चुनते हैं और जिनकी अपील सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली जाती है, उन्हें अपील चिकित्सा परीक्षा के परिणाम को अंतिम और बाध्यकारी मानना होगा। आगे कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने चिकित्सा अपील का विकल्प नहीं चुना है, उनके प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा परिणाम पर विचार किया जाएगा।

4.0 राष्ट्रीयता / नागरिकता

- 4.1 अभ्यर्थी को निम्न में से कोई एक होना चाहिए:

(a) भारत का नागरिक, या

केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 04/2025 पृष्ठ 8/57

- (b) नेपाल का नागरिक, या
- (c) भूटान का नागरिक, या
- (d) एक तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया था, या
- (e) भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम से आया है।
- (f) बशर्ते कि उपरोक्त श्रेणी (बी), (सी), (डी) और (ई) से संबंधित उम्मीदवार वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

4.2 जिन उम्मीदवारों के लिए पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक है, उन्हें परीक्षा में अंतिम रूप से प्रवेश दिया जा सकता है। हालाँकि, दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

5.0 आयु सीमा

- 5.1 रिक्ति तालिका में पद के लिए दर्शाई गई निचली और ऊपरी आयु सीमा को ध्यान में रखा जाएगा। (01.01.2026 तक।)
- 5.2 7वें सीपीसी स्तर 6 (स्नातक स्तर के पद) के लिए, उम्मीदवारों की जन्म तिथि नीचे दी गई तिथियों के बीच होनी चाहिए (दोनों तिथियां शामिल हैं):

आयु वर्ग	जन्म तिथि की ऊपरी सीमा (इससे पहले नहीं)			जन्म तिथि की निचली सीमा (इससे अधिक नहीं)
	यूआर और ईडब्ल्यूएस	ओबीसी-गैर क्रीमी लेयर	एससी/एसटी	सभी समुदाय/श्रेणियों के लिए
20 से 33	02.01.1993	02.01.1990	02.01.1988	01.01.2006

नोट्स:

- इस तालिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल के लिए दी गई जन्मतिथि सीमा में सामुदायिक आयु छूट भी शामिल है।
 - पैरा D 5.3 में दी गई तालिका में समुदाय/श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थी, लागू आयु सीमा में छूट के लिए पात्र होंगे।
- 5.3 हालाँकि, निम्नलिखित श्रेणियों/समुदायों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट नीचे दी गई तालिका में दी गई है, जो अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर लागू होगी।

क्रम. सं.	समुदाय/श्रेणियाँ	ऊपरी आयु सीमा/अधिकतम ऊपरी आयु में छूट	
1	ओबीसी-गैर-क्रीमी लेयर (एनसीएल)	3 वर्ष	
2	एससी/एसटी	5 साल	
3	भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने सत्यापन के बाद 6 महीने से अधिक सेवा की है	यूआर और ईडब्ल्यूएस	3 वर्ष (आयु से सेवा अवधि घटाने के बाद)
		ओबीसी-एनसीएल	6 साल(आयु से सेवा अवधि घटाने के बाद)
		एससी/एसटी	8 वर्ष (आयु से सेवा अवधि घटाने के बाद)
4	वे अभ्यर्थी जो ग्रुप 'सी' और पूर्ववर्ती	यूआर और ईडब्ल्यूएस	40 वर्ष की आयु

	ग्रुप 'डी' रेलवे कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं, तथा जिनके पास रेलवे में न्यूनतम 3 वर्ष की निरंतर या खंडित सेवा हो।	ओबीसी- एनसीएल	43 वर्ष की आयु
		एससी/एसटी	45 वर्ष की आयु
5	बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)	यूआर और ईडब्ल्यूएस	10 वर्ष
		ओबीसी- एनसीएल	13 वर्ष
		एससी/एसटी	15 वर्ष

6	वे अभ्यर्थी जो रेलवे संगठन के अर्ध-प्रशासनिक कार्यालयों जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समितियों और संस्थानों में काम कर रहे हैं।	सभी	प्रदान की गई सेवा की अवधि या 5 वर्ष तक, जो भी कम हो.
7	महिला अभ्यर्थी, जो विधवा, तलाकशुदा या पति से न्यायिक रूप से अलग हो चुकी हों, लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया.	यूआर और ईडब्ल्यूएस	35 वर्ष की आयु
		ओबी सी- एनसी एल	38 आयु के वर्ष
		एससी/एसटी	40 वर्ष की आयु

- 5.4 अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल (नॉन-क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
- 5.5 यूआर रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को केवल पीडब्ल्यूबीडी (यूआर) के लिए लागू आयु में छूट दी जाएगी. (उपयुक्तता की शर्तों के अधीन।)
- 5.6 यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आधारों पर आयु में छूट के लिए पात्र है, तो उसे अधिकतम आयु छूट दी जाएगी जिसके लिए वह पात्र है।
- 5.7 अभ्यर्थी ध्यान दें कि इस आवेदन पत्र में भरी गई जन्मतिथि मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी/दसवीं कक्षा या समकक्ष प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि के समान होनी चाहिए। इसके बाद इसमें परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जन्मतिथि में किसी भी प्रकार का अंतर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर देगा।

6.0 शैक्षिक योग्यता

उम्मीदवारों के पास पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। अनुलग्नक ए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से इस सीईएन के अंतर्गत उत्तीर्ण। निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवारों को आवेदन नहीं करना चाहिए।

7.0 परीक्षा शुल्क

इस सीईएन में पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नीचे दी गई श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा:

क्रम. सं.	उम्मीदवार श्रेणियाँ	शुल्क (रु.)
1	के लिए सभी उम्मीदवारों (के अलावा शुल्क छूट श्रेणियाँ) (नीचे क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित) 500 रुपये के इस शुल्क में से 400 रुपये की राशि वापस कर दी जाएगी। प्रथम चरण सीबीटी में उपस्थित होने पर बैंक शुल्क की विधिवत कटौती की जाएगी।	500

2	महिला/ट्रांसजेंडर/पूर्व सैनिक उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक समुदायों/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी)*/पीडब्ल्यूबीडी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए। 250 रुपये का यह शुल्क बैंक शुल्क काटकर वापस कर दिया जाएगा। प्रथम चरण सीबीटी में उपस्थित होने पर लागू।	250
---	--	-----

*ईबीसी श्रेणी के अंतर्गत रियायत का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण नोट: आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) श्रेणी के अंतर्गत रियायत का दावा करने से पहले कृपया इस सीईएन के पैराग्राफ 7.2 को ध्यानपूर्वक पढ़ें। रियायती शुल्क का लाभ लेने के इच्छुक उम्मीदवार के पास आवेदन भरते समय एक वैध दस्तावेज़ - अर्थात् ईबीसी प्रमाणपत्र (अनुलग्नक IV) या बीपीएल कार्ड या इज्जत एमएसटी या केंद्र सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी कोई भी प्रमाणपत्र - होना चाहिए। उन्हें ऑनलाइन आवेदन में संबंधित विवरण दर्ज करना होगा और दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के समय मूल विवरण जमा करना होगा।

ईबीसी प्रमाण पत्र (अनुलग्नक IV), बीपीएल कार्ड, या इज्जत एमएसटी या आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र, अर्थात्., 14.10.2025 के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन की अंतिम तिथि को या उससे पहले जारी किया गया वैध दस्तावेज़ - अर्थात् ईबीसी प्रमाण पत्र (अनुलग्नक IV), बीपीएल कार्ड, या इज्जत एमएसटी - प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उन्हें अनारक्षित माना जाएगा और उन्हें संबंधित आरआरबी में अनारक्षित उम्मीदवार के लिए लागू अपेक्षित शुल्क का भुगतान करना होगा।

7.1 शुल्क भुगतान का तरीका

- इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क भुगतान स्वीकार किया जाएगा। सभी लागू सेवा शुल्क उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएंगे।
- अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क भुगतान का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।
- निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि और समय:

14.10.2025 को 23:59 बजे तक सफलतापूर्वक पंजीकरण कराने वाले उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन भुगतान 16.10.2025 को 23:59 बजे तक किया जा सकेगा। भुगतान करने के बाद, इन उम्मीदवारों को 16.10.2025 को 23:59 बजे तक या उससे पहले अपना आवेदन जमा करना होगा।

चुने गए ऑनलाइन भुगतान मोड के माध्यम से शुल्क भुगतान के लिए सभी लागू सेवा शुल्क उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएंगे।

- 7.2 अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी शामिल हैं, जो इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (14.10.2025) तक प्राप्त संशोधन / विलोपन / समावेशन, यदि कोई हो, के अधीन हैं।

परीक्षा शुल्क में छूट का लाभ उठाने वाले अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय, गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा हलफनामा (अनुलग्नक-V) प्रस्तुत करना होगा कि वे उपरोक्त अल्पसंख्यक समुदायों में से किसी एक से संबंधित हैं, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी को अनारक्षित माना जाएगा और उन्हें संबंधित आरआरबी में अनारक्षित उम्मीदवार के लिए लागू अपेक्षित शुल्क का भुगतान करना होगा।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार वे हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000/- रुपये से कम है ऐसे उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित होना चाहिए:

केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 04/2025 पृष्ठ 11/57

- (a) आवेदन भरने से पहले जारीकर्ता प्राधिकारी के लेटर हेड पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन की तिथि पर वैध आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें और दस्तावेज सत्यापन के समय इसे प्रस्तुत करें, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी को अनारक्षित माना जाएगा और उन्हें संबंधित आरआरबी में अनारक्षित उम्मीदवार के लिए लागू अपेक्षित शुल्क का भुगतान करना होगा।
- (b) उम्मीदवारों के पास बीपीएल कार्ड या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र हो, या
- (c) इज्जत वाले उम्मीदवार रेलवे द्वारा जारी एमएसटी भी ईबीसी के अंतर्गत शुल्क रियायत के लिए पात्र हैं।
- शुल्क में छूट चाहने वाले ईबीसी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में संबंधित प्रमाण पत्र/कार्ड संख्या, जारी करने की तिथि, जारी करने वाला प्राधिकारी, जारी करने का स्थान और राज्य भरना होगा।

ईबीसी और ईडब्ल्यूएस अलग-अलग श्रेणियां हैं और ईबीसी को ओबीसी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ईबीसी उम्मीदवारों को पता होना चाहिए कि वे केवल फीस में छूट के हकदार हैं, नौकरी में आरक्षण के नहीं।

7.3 परीक्षा शुल्क की वापसी (सीबीटी में भाग लेने वालों के लिए)

- a) सभी अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में परीक्षा शुल्क का वापसी योग्य भाग (अर्थात् ₹ 400/- या ₹ 250/- जो भी लागू हो, बैंक शुल्क घटाकर) प्राप्त करने के लिए बैंक विवरण (बैंक का नाम, खाताधारक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड) स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा।
- b) जिन अभ्यर्थियों का आवेदन अपूर्ण है या जिन्होंने अपना आवेदन जमा नहीं किया है या जिनका आवेदन अस्वीकृत हो गया है, उनके द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। जो अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित होंगे उन्हें परीक्षा शुल्क वापस नहीं होगा।
- c) सही बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों की है और आरआरबी इस आधार पर उम्मीदवारों से किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं करेगा।
- d) गलत/अपूर्ण लाभार्थी विवरण और त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/अस्वीकृत आवेदनों के लिए परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

8.0 ऊर्ध्वाधर आरक्षण

- 8.1 यह सीईएन अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) - गैर-क्रीमी लेयर (एनसीएल) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए ऊर्ध्वाधर आरक्षण प्रदान करता है, जहां भी लागू और स्वीकार्य हो, और मौजूदा नियमों के तहत इंडेंटिंग रेलवे / उत्पादन इकाइयों द्वारा सूचित किया जाता है, जैसा कि रिक्ति तालिका में उल्लिखित है।

टिप्पणी:

- आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एक ही नहीं बल्कि तीन अलग-अलग श्रेणियां हैं।
 - ईडब्ल्यूएस और ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवार जहां भी लागू और स्वीकार्य हो, नौकरी आरक्षण के लिए पात्र हैं।
 - आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार (उपर्युक्त पैरा 7.4 के तहत परिभाषित) नौकरी में आरक्षण के हकदार नहीं हैं।
- 8.2 सभी उम्मीदवारों को, चाहे वे किसी भी समुदाय के हों, अनारक्षित रिक्तियों के लिए विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित मानदंड पूरे हों। हालाँकि, विशिष्ट समुदायों (एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस) के लिए निर्धारित रिक्तियों के लिए, केवल उसी समुदाय के उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। केवल वे समुदाय जिन्हें भारत सरकार द्वारा एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी (एनसीएल) के रूप में मान्यता प्राप्त है, आरक्षण के लिए पात्र हैं।

- 8.3 क्रीमी लेयर में आने वाले ओबीसी उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं।
- 8.4 आरक्षण का लाभ उठाने के लिए, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान आवश्यक प्रमाण पत्र (मूल रूप में) प्रस्तुत करने होंगे। ये प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुलग्नक I (एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए), अनुलग्नक II (ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों के लिए) और अनुलग्नक III (ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए) में दिए गए प्रारूपों के अनुसार जारी किए जाने चाहिए।
- 8.5 "ओबीसी श्रेणी" के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले ओबीसी उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक II) में 01 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद जारी किया गया ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, लेकिन इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद नहीं। प्रमाणपत्र संख्या, जारी करने की तिथि और प्रमाणपत्र में उल्लिखित जाति ऑनलाइन आवेदन में प्रदान की जानी चाहिए। ओबीसी उम्मीदवार की जाति ओबीसी की वर्तमान अद्यतन केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध होनी चाहिए। (<http://www.ncbc.nic.in>).

दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के दौरान, आरक्षण का दावा करने वाले ओबीसी उम्मीदवार को ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और अनुलग्नक IIA में दिए गए प्रारूप में एक स्व-घोषणा भी देनी होगी, जिसमें यह उल्लेख हो कि वे "आवेदन की अंतिम तिथि तक क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं।" ऐसा न करने पर उनका आरक्षण का दावा (ओबीसी-एनसीएल के रूप में) स्वीकार नहीं किया जाएगा और उन्हें अनारक्षित (यूआर) उम्मीदवार माना जा सकता है, बशर्ते कि वे यूआर उम्मीदवारों पर लागू आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

- 8.6 ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि "यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।-(*इस सीईएन के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त कोई और संशोधन)।
- 8.7 कृपया ध्यान दें: ओबीसी राज्य सूची में मौजूद हैं लेकिन ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं हैं (नवीनतम सूची के अनुसार (<http://www.ncbc.nic.in>) आरक्षण का दावा करने के लिए पात्र नहीं हैं।
- 8.8 डब्ल्यूपी (सी) संख्या 1052/2021 में सुनील कुमार राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के बीच माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.02.2022 के आलोक में, वे उम्मीदवार जो (ए) मूल रूप से लोहार/लोहारा/लोहरा जाति के हैं, और (बी) बिहार राज्य से संबंधित हैं या केवल बिहार राज्य से अस्थायी/स्थायी रूप से अन्य राज्यों में चले गए हैं, उन्हें अपनी नवीनतम जाति (जो (ए) एसटी का दावा करने के लिए बिहार सरकार के फॉर्म-II के संदर्भ में सीईएन के अनुलग्नक I के अनुसार है या (बी) ओबीसी-एनसीएल का दावा करने के लिए बिहार सरकार के फॉर्म- VIIA के संदर्भ में सीईएन के अनुलग्नक II के अनुसार है) प्रस्तुत करनी चाहिए जो केवल 01.04.2023 के बाद जारी की गई हो और साथ ही यह आवेदन पत्र में उल्लिखित एसटी/ओबीसी-एनसीएल के रूप में उनके दावे को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज सत्यापन के दौरान ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर मान्य होनी चाहिए।
- 8.9 डॉ भीमराव अंबेडकर विचार मंच, बिहार, पटना और बिहार राज्य एवं अन्य के बीच सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील संख्या 18802/2017, दिनांक 15.07.2024 के निर्णय के आलोक में, वे उम्मीदवार जिनके पास माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले जारी एसटी/एससी का सामुदायिक प्रमाण पत्र है और साथ ही (ए) मूल रूप से पैन/पैनआर/सवासी/तांती-तत्व से संबंधित हैं (तांती-तंतवा) मूल रूप से जाति, और (बी) बिहार राज्य से संबंधित हैं या केवल बिहार राज्य से अस्थायी/स्थायी रूप से अन्य राज्यों में प्रवास कर गए हैं, उन्हें अपने समुदाय और जाति को संशोधित/जोड़ते हुए, 01.09.2024 को या उसके बाद जारी किए गए नवीनतम जाति प्रमाण पत्र का विवरण अपलोड करना होगा। उनके समुदाय और जाति/जनजाति को उनकी संशोधित जाति/समुदाय के अनुसार भर्ती के लिए विचार किया जाएगा। इन उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय 01.09.2024 को या उसके बाद लिया गया नया जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लाना होगा, अन्यथा, उनकी उम्मीदवारी अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत मानी जाएगी।

- 8.10 महत्वपूर्ण: उम्मीदवार की ऑनलाइन आवेदन में घोषित समुदाय या श्रेणी की स्थिति, आरक्षण लाभों के लिए उनकी पात्रता निर्धारित करेगी। किसी भी कारण से समुदाय की स्थिति में बाद में होने वाले किसी भी परिवर्तन को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी।
- 8.11 यह सुनिश्चित करना उम्मीदवारों की ज़िम्मेदारी है कि वे जिस आरक्षण का दावा कर रहे हैं, उसके लिए वे पात्र हैं। उनकी उम्मीदवारी तब तक अनंतिम रहेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता सत्यापित नहीं हो जाती।
- 8.12 उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि किसी भी स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की स्थिति का कोई भी धोखाधड़ीपूर्ण दावा या किसी अन्य लाभ का दुरुपयोग सामने आता है, तो उनकी उम्मीदवारी या नियुक्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी। ऐसी कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप उन्हें सभी आरआरबी और आरआरसी परीक्षाओं से स्थायी रूप से वंचित कर दिया जाएगा और कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है।

8.13 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण

वे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) के लिए आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये (आठ लाख रुपये) से कम है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाएगा। इस आय में आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से होने वाली आय भी शामिल होगी। इस सीईएन के लिए उक्त वित्तीय वर्ष 2024-2025 होगा। साथ ही, जिन अभ्यर्थियों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है, उन्हें पारिवारिक आय की परवाह किए बिना ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचान से बाहर रखा जाएगा:

- 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
- 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय एक "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को एक साथ जोड़ दिया जाएगा।

इस प्रयोजन के लिए "परिवार" शब्द में आरक्षण का लाभ चाहने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल होंगे।

ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ आय और रोजगार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी संपत्ति प्रमाण पत्र। निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी एक द्वारा अनुलग्नक III में दिए गए निर्धारित प्रारूप में जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र को ही ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के रूप में स्वीकार किया जाएगा:

- जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त
- मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो तथा उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता हो।

ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान अनुलग्नक III के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तदनुसार, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में प्रमाण पत्र संख्या, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, जारीकर्ता प्राधिकारी, जिला और जारी करने का राज्य भरना होगा। इन शर्तों का पालन न करने की स्थिति में, ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी/आवेदन,

यदि वे सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो केवल सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के अंतर्गत ही विचार किया जाएगा।

- 8.14 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार जो आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हैं, वे भी अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, उन्हें अनारक्षित उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट नहीं दी जाएगी। हालाँकि, उम्मीदवारों को आवेदन में अपने वास्तविक समुदाय का उल्लेख करना होगा।
- 8.15 इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर समुदाय की स्थिति को आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए केवल तभी विचार किया जाएगा, यदि वह पात्र हो और उसके बाद उम्मीदवार की समुदाय की स्थिति में कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9.0 क्षैतिज आरक्षण:

- 9.1 यह सीईएन भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों के लिए उनके सामाजिक समुदाय पर ध्यान दिए बिना क्षैतिज आरक्षण का भी प्रावधान करता है।
- 9.2 रिक्ति तालिका में दर्शाई गई कुल रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्तियाँ भी शामिल हैं। हालाँकि, जहाँ दिव्यांगजनों के लिए रिक्तियों को बैकलॉग रिक्तियों के रूप में अलग से दर्शाया गया है (समुदाय का कोई संकेत दिए बिना), ये पूर्व की बैकलॉग रिक्तियाँ हैं और इस सीईएन में दर्शाई गई नियमित सामुदायिक रिक्तियों में शामिल नहीं हैं।
- 9.3 भूतपूर्व सैनिक विशेष रूप से उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए पात्र हैं। यदि किसी पद के लिए ऐसी कोई रिक्तियाँ आरक्षित नहीं हैं, तो भी वे नियमित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे मामलों में, वे आयु सीमा में छूट और शुल्क में छूट के लिए पात्र बने रहेंगे।
- 9.4 इसी प्रकार, दिव्यांग उम्मीदवार किसी पद की नियमित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, भले ही उस पद के लिए उनके लिए कोई विशेष रिक्तियाँ आरक्षित न हों, बशर्ते कि वह पद उनकी विकलांगता के लिए उपयुक्त हो। ऐसे मामलों में, वे आयु में छूट और शुल्क में छूट के लिए पात्र बने रहेंगे।
- 9.5 यदि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्तियाँ उस श्रेणी की विकलांगता के अंतर्गत उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से नहीं भरी जा सकती हैं, तो ऐसी रिक्तियाँ नहीं भरी जाएंगी और उन्हें इस अधिसूचना के लिए कमी के रूप में माना जाएगा।
- 9.6 टिप्पणी: हालाँकि, इस सीईएन में दर्शाई गई बैकलॉग रिक्तियों के लिए, यदि किसी विशिष्ट विकलांगता वाले दिव्यांगजन उम्मीदवार (जिनके लिए बैकलॉग रिक्तियाँ निर्धारित हैं) उपलब्ध नहीं हैं, तो इन्हें अन्य विकलांगता वाले दिव्यांगजन उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है, जिनके लिए वह पद उपयुक्त है। इसके बाद, किसी भी विकलांगता वाले दिव्यांगजन उम्मीदवार (जिनके लिए वह पद उपयुक्त माना गया है) के उपलब्ध न होने की स्थिति में, रिक्त बैकलॉग रिक्तियों को योग्यता क्रम के अनुसार उस सीमा तक नियमित (गैर-दिव्यांगजन) उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

10.0 भूतपूर्व सैनिक :

- 10.1 भूतपूर्व सैनिक शब्द का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना या वायु सेना में किसी भी पद पर (योद्धा या गैर-योद्धा के रूप में) सेवा की हो, लेकिन इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना या वायु सेना में सेवा की हो। रक्षा सुरक्षा कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग बल, लोक सहायक सेना और अर्धसैनिक बल

और

- a. जो या तो सेवानिवृत्त हो गया है या सेवामुक्त हो गया है या सेवामुक्त हो गया है, चाहे वह उसके स्वयं के अनुरोध पर हो या उसे पेंशन प्राप्त करने के बाद नियोक्ता द्वारा सेवामुक्त किया गया हो; (या)

- b. जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया हो और उसे चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन प्रदान की गई हो; (या)
- c. जो स्थापना में कटौती के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है; (या)
- d. जो नियुक्ति की विशिष्ट अवधि पूरी करने के पश्चात ऐसी सेवा से, अपने स्वयं के अनुरोध पर या कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के माध्यम से मुक्त किया गया हो और उसे उपदान दिया गया हो; और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक, अर्थात् निरंतर सेवा या अर्हक सेवा के खंडित अवधियों के लिए पेंशन धारक शामिल हैं; (या)
- e. सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में वापस आए बिना सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण या उनके कारण उत्पन्न चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से मुक्त हुए हैं और जिन्हें चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन दी गई है; (या)
- f. वे कर्मी जो 14 अप्रैल 1987 से पूर्व छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; (या)
- छ. प्रादेशिक सेना के कर्मीयो सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; (या)
- h. पूर्व-भर्ती कर्मचारियों जिन्हें चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त किया गया तथा उन्हें 01.02.2006 से चिकित्सा विकलांगता पेंशन प्रदान की गई।
- 10.2 संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत ऐसे व्यक्ति, जो सेवा से सेवानिवृत्त होने पर भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आएंगे, नियुक्ति की विशिष्ट शर्तों के पूरा होने से एक वर्ष पहले पुनः रोजगार के लिए आवेदन करने के पात्र हैं तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध सभी रियायतों का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को तब तक वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वे संघ के सशस्त्र बलों में नियुक्ति की विशिष्ट शर्तों को पूरा नहीं कर लेते। तदनुसार, ऐसे सेवारत रक्षा कार्मिक, जिनके केंद्रीय रोजगार सूचना (सीईएन) के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर (सशस्त्र बलों से) सेवामुक्त होने की संभावना है, वे भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित रिक्तियों और उनके लिए आरक्षित न किए गए पदों, दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, उनके पास इस केंद्रीय रोजगार सूचना (सीईएन) के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएँ होनी चाहिए।
- जब चयन प्रक्रिया आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष से अधिक समय लेती है, तो उम्मीदवार को केवल इस आधार पर भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि उसने आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष बाद सशस्त्र बलों से सेवामुक्ति प्राप्त की है। दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि तक, जिसके लिए उसे शॉर्टलिस्ट किया गया है, उस पर विचार किया जा सकता है।
 - चूंकि ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति इस दस्तावेज़ी साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण के अधीन है कि उसे सशस्त्र बलों से विधिवत रूप से मुक्त/सेवामुक्त कर दिया गया है और वह पूर्वोक्त नियमों/अधिसूचनाओं के अनुसार भूतपूर्व सैनिक के रूप में योग्य है, ऐसे उम्मीदवार को आवेदन के साथ संलग्न प्रारूप में विधिवत हस्ताक्षरित वचनबद्धता प्रस्तुत करना अपेक्षित है, जैसा कि अनुलग्नक VII (ए) में दर्शाया गया है।
- 10.3 आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक सशस्त्र बलों में कार्यरत सशस्त्र सेवा कर्मियों को अनुलग्नक VII के अनुसार "सेवामुक्ति की संभावित तिथि सहित रोजगार प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करना होगा, जो इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक मान्य होगा। इसके अलावा, भूतपूर्व सैनिक आरक्षण लाभों का दावा करने के लिए, दस्तावेज़ सत्यापन के समय सभी को अनुलग्नक VII (A) के अनुसार स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 10.4 भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले लाभों का लाभ उठाने के बाद केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप सी और डी (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) में सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है, उन्हें केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप सी/डी में उच्च ग्रेड या संवर्ग में एक और रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु सीमा में छूट का लाभ ही मिलेगा। ऐसे उम्मीदवारों को भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार की नौकरियों में।

10.5 यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी भी सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो वह किसी भी बाद के रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिकों के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है, इस शर्त के अधीन कि एक भूतपूर्व सैनिक जैसे ही किसी सिविल रोजगार में शामिल होता है, उसे प्रारंभिक सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले इस सीईएन सहित विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन की तिथिवार जानकारी के बारे में संबंधित नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचन देना चाहिए, जिसके लिए उसने आवेदन किया था। सिविल नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के साथ इस घोषणा की पावती प्रति दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान प्रस्तुत की जानी चाहिए, अन्यथा उन्हें भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती से भरी जाती हैं और जहां भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू होता है।

10.6 भूतपूर्व सैनिकों का चिकित्सा मानक भारतीय रेलवे के पैरा 534 के अनुसार होगा

मेडिकल मैनुअल (आईआरएमएम) खंड I, जिसे www.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता

आरक्षण/छूट का लाभ चाहने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए विशेष नोट

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिक के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट का लाभ चाहने वाले सभी उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे नियमों/सीईएन में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/छूट के हकदार हैं। उनके पास नियमों/सीईएन में निर्धारित अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र होने चाहिए।

11.0. **बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (PwBD)**

11.1. पीडब्ल्यूबीडी के लिए किसी पद की उपयुक्तता या अन्यथा को प्रत्येक पद के सामने, "बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता" कॉलम के तहत पोस्ट पैरामीटर तालिका (अनुलग्नक ए) में उप विकलांगता के विवरण के साथ दर्शाया गया है।

मानक विकलांगताएं: विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के अनुसार (दिव्यांगजन अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2016 (19 अप्रैल, 2017 से प्रभावी) के अनुसार, मानक दिव्यांगताएं निम्नानुसार हैं: -

(ए)अंधापन और कम दृष्टि (वीआई);

(बी)बधिर एवं कम सुनने वाले (एचआई);

(सी)सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से मुक्ति, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी सहित लोकोमोटर विकलांगता (एलडी);

(डी)ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट अधिगम विकलांगता और मानसिक बीमारी;

(ई)प्रत्येक विकलांगता (एमडी) के लिए पहचाने गए पदों में बधिर-अंधापन सहित खंड (ए) से (डी) के तहत व्यक्तियों में से एकाधिक विकलांगताएं।

11.2. निर्दिष्ट विकलांगताओं की परिभाषा: आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की अनुसूची में निर्दिष्ट विकलांगताओं की परिभाषा नीचे दी गई है:

1. शारीरिक विकलांगता:-

(ए) लोकोमोटर विकलांगता(किसी व्यक्ति की स्वयं और वस्तुओं की गति से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में असमर्थता, जो मस्क्युलोस्केलेटल या तंत्रिका तंत्र या दोनों के विकार के परिणामस्वरूप होती है), जिसमें शामिल हैं-

(क) "कुष्ठ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति"इसका अर्थ है वह व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से ठीक हो गया है लेकिन इससे पीड़ित है—

(मैं)हाथों या पैरों में संवेदना की हानि के साथ-साथ आंख और पलक में संवेदना की हानि और पक्षाघात, लेकिन कोई स्पष्ट विकृति नहीं;

(ii)प्रकट विकृति और पक्षाघात, लेकिन उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होना जिससे वे सामान्य आर्थिक गतिविधि में संलग्न हो सकें;

केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 04/2025 पृष्ठ17/57

(iii) अत्यधिक शारीरिक विकृति और साथ ही अधिक आयु जो उसे कोई लाभकारी व्यवसाय करने से रोकती है, और "कुष्ठ रोग ठीक हो जाना" अभिव्यक्ति को तदनुसार समझा जाएगा;

(बी) "सेरेब्रल पाल्सी" इसका अर्थ है शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी स्थितियों का एक समूह, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान के कारण होता है, जो आमतौर पर जन्म से पहले, जन्म के दौरान या उसके तुरंत बाद होता है;

(ग) "बौनापन" इसका अर्थ है एक चिकित्सीय या आनुवंशिक स्थिति जिसके परिणामस्वरूप वयस्क की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम होती है;

(घ) "मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी" इसका अर्थ है वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशी रोगों का एक समूह जो मानव शरीर को गतिमान करने वाली मांसपेशियों को कमजोर कर देता है और मल्टीपल डिस्ट्रॉफी से ग्रस्त व्यक्तियों के जीवन में गलत और अनुपस्थित जानकारी होती है, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। इसकी विशेषताएँ हैं प्रगतिशील कंकाल की मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशी प्रोटीन में दोष, और मांसपेशी कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु;

(ई) "एसिड अटैक पीडित" इसका अर्थ है एसिड या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ फेंकने से हिंसक हमले के कारण विकृत व्यक्ति।

(च) रीढ़ की हड्डी में विकृति (एसडी) और रीढ़ की हड्डी में चोट (एसआई) जिसमें कोई तंत्रिका संबंधी/अंग संबंधी विकार न हो। तंत्रिका संबंधी/अंग संबंधी विकार के बिना एसडी/एसआई वाले व्यक्ति, लोकोमोटर विकलांगता के अंतर्गत विकलांगता की सभी उप-श्रेणियों के लिए उपयुक्त हैं। एसडी/एसआई और अंग संबंधी विकार वाले व्यक्तियों को लोकोमोटर विकलांगता की संबंधित उप-श्रेणी, अर्थात् ओए, ओएल, बीए, बीएल, ओएएल, बीएलओए, बीएलए, जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत कवर किया जाएगा।

बी) दृश्य हानि-

(क) "अंधापन" ऐसी स्थिति का अर्थ है जहां किसी व्यक्ति में सर्वोत्तम सुधार के बाद निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति हो -

(मै) दृष्टि की पूर्ण अनुपस्थिति; या

(ii) सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ बेहतर आँख में दृश्य तीक्ष्णता 3/60 से कम या 10/200 (स्लेन) से कम; या

(iii) दृष्टि क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से कम का कोण बनाना।

(ख) "कम दृष्टि" ऐसी स्थिति का अर्थ है जहां किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति हो, अर्थात्: -

(मै) दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक न हो या 20/60 से कम हो या 3/60 तक हो या 10/200 (स्लेन) तक हो, बेहतर आँख में सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ; या

(ii) दृष्टि क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से कम से लेकर 10 डिग्री तक का कोण बना सकती है।

सी) श्रवण दोष-

(क) "बधिर" इसका अर्थ है ऐसे व्यक्ति जिनके दोनों कानों में वाक् आवृत्तियों में 70 डीबी श्रवण हानि है;

(ख) "सुनने में कठिनाई" इसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों में वाक् आवृत्तियों में 60 डीबी से 70 डीबी तक श्रवण हानि हो।

डी) "भाषण और भाषा विकलांगता" इसका अर्थ है स्वरयंत्र उच्छेदन या वाचाघात जैसी स्थितियों से उत्पन्न स्थायी विकलांगता, जो जैविक या तंत्रिका संबंधी कारणों से भाषण और भाषा के एक या अधिक घटकों को प्रभावित करती है।

2. बौद्धिक अक्षमता, एक ऐसी स्थिति जो बौद्धिक कार्यप्रणाली (तर्क, सीखना, समस्या समाधान) और अनुकूली व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमाओं की विशेषता रखती है, जो हर दिन, सामाजिक और व्यावहारिक कौशल की एक श्रृंखला को कवर करती है, जिसमें शामिल हैं-

(क) "विशिष्ट अधिगम अक्षमताएँ" इसका अर्थ है स्थितियों का एक विषम समूह जिसमें बोली जाने वाली या लिखित भाषा के प्रसंस्करण में कमी होती है, जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी करने या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है और इसमें अवधारणात्मक विकलांगता, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया और विकासात्मक वाचाघात जैसी स्थितियां शामिल हैं;

(ख) "ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार" इसका अर्थ है एक न्यूरो-विकासात्मक स्थिति जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से संबंध बनाने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी अनुष्ठानों या व्यवहारों से जुड़ी होती है।

केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 04/2025 पृष्ठ 18/57

3. मानसिक व्यवहार— “मानसिक बीमारी” से आशय सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक बड़ा विकार है जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को बुरी तरह से क्षीण कर देता है, लेकिन इसमें मंदबुद्धि शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के विकास में रुकावट या अपूर्णता की स्थिति है, जो विशेष रूप से बुद्धि की उप-सामान्यता द्वारा चिह्नित है।

4. निम्नलिखित के कारण हुई विकलांगता—

(ए) पुरानी तंत्रिका संबंधी स्थितियां, जैसे—

(i) “मल्टीपल स्केलेरोसिस” एक सूजन, तंत्रिका तंत्र रोग का मतलब है जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतुओं के चारों ओर माइलिन आवरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे डिमाइलिनेशन होता है और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका कोशिकाओं की एक दूसरे के साथ संवाद करने की क्षमता प्रभावित होती है;

(ii) “पार्किंसंस रोग” इसका अर्थ है तंत्रिका तंत्र का एक प्रगतिशील रोग, जो कंपन, मांसपेशियों में कठोरता और धीमी, अनिश्चित गति से चिह्नित होता है, जो मुख्य रूप से मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करता है, जो मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया के अधःपतन और न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी से जुड़ा होता है।

(ख) रक्त विकार—

(i) “हीमोफीलिया” इसका अर्थ है एक वंशानुगत रोग, जो आमतौर पर केवल पुरुषों को प्रभावित करता है, लेकिन महिलाओं द्वारा उनके पुरुष बच्चों को प्रेषित होता है, जिसमें रक्त के सामान्य थक्के बनाने की क्षमता की हानि या हानि होती है, जिससे कि एक मामूली घाव के परिणामस्वरूप घातक रक्तस्राव हो सकता है;

(ii) “थैलेसीमिया” इसका अर्थ है वंशानुगत विकारों का एक समूह जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम या अनुपस्थित होती है।

(iii) “सिकल सेल रोग” इसका अर्थ है एक रक्तसंलायी विकार जिसमें दीर्घकालिक रक्ताल्पता, दर्दनाक घटनाएं, तथा संबंधित ऊतकों और अंगों की क्षति के कारण विभिन्न जटिलताएं शामिल हैं; “हेमोलिटिक” का अर्थ है लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली का विनाश जिसके परिणामस्वरूप हीमोग्लोबिन का स्राव होता है।

5. बहु विकलांगताएं(ऊपर बताई गई एक से अधिक विकलांगताएँ) जिनमें बधिरता, अंधापन शामिल है, जिसका अर्थ है ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति को श्रवण और दृश्य दोनों प्रकार की विकलांगताएँ हो सकती हैं, जिससे गंभीर संचार, विकासात्मक और शैक्षिक समस्याएँ हो सकती हैं। बहु-विकलांगता (एमडी) श्रेणी के अंतर्गत, केवल व्यक्तिगत विकलांगताओं के संयोजन वाले उम्मीदवार ही इस पद के लिए पात्र हैं, जो स्वतंत्र रूप से पात्र हैं।

6. कोई अन्य श्रेणीजैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

11.3. आरक्षण के लिए बेंचमार्क विकलांगता की डिग्री और विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी केवल ऐसे व्यक्ति ही पदों में शर्तों/आरक्षण में छूट के लिए पात्र होंगे जो प्रासंगिक बेंचमार्क विकलांगता के 40 प्रतिशत से कम नहीं हैं। बेंचमार्क विकलांगता वाले वे व्यक्ति (पीडब्लूबीडी) जिन्होंने छूट और/या आरक्षण का लाभ उठाया है और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं, उन्हें दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अध्याय 7 के तहत दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के राजपत्र अधिसूचना (असाधारण) दिनांक 14 मार्च 2024 के नियम 18(1) के फॉर्म V, VI और VII के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। संशोधित प्रारूपों के लिए अनुलग्नक VIII(ए), अनुलग्नक VIII(बी) और अनुलग्नक VIII(सी) देखें। दिव्यांगजन अधिनियम 1995 (अब निरस्त) के तहत जारी विकलांगता के मौजूदा प्रमाण पत्र उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए वैध बने रहेंगे।

11.4. बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार (दिव्यांगजन) ध्यान दें कि उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदन पत्र भरते समय उपयुक्त दिव्यांगजन उप-श्रेणी अर्थात् एलडी/एचआई/वीआई/एमडी का चयन करना होगा। किसी भी परिस्थिति में दिव्यांगजन उप-श्रेणी में बाद में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय आवेदन पत्र में घोषित सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण पत्र, अपनी विशिष्ट विकलांगता पहचान (यूडीआईडी) के साथ प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 38-16/2020-डीडीIII दिनांक 04.01.2021 में दर्शाए गए दिव्यांगता/दिव्यांगताओं के प्रकार (जैसे ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी, एसआई आदि) का प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

- 11.5. चयनित पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय रेलवे चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा और केवल वे ही उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जो भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल और अन्य मौजूदा प्रावधानों में निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुरूप होंगे।
- 11.6 जब रिक्तियां आरक्षित होती हैं पीडब्ल्यूबीडी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए पूर्ण पैनल प्रत्येक श्रेणी के न्यूनतम योग्यता प्रतिशत अंकों के साथ नहीं बनाया जा सकता है, अर्थात्, यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी-एनसीएल, समुदाय के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंकों में 2 अंकों तक की छूट दी जाएगी।
- 11.7. **स्क्राइब की सहायता और प्रतिपूरक समय के लिए दिशानिर्देश:**
- 11.7.1 अंधेपन, चलने-फिरने में अक्षमता (दोनों हाथ प्रभावित - बीए) और मस्तिष्क पक्षाघात की श्रेणी में बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि वांछित हो तो स्क्राइब की सुविधा दी जाएगी। किसी व्यक्ति के लिए, केवल तभी जब पद विशिष्ट श्रेणी के लिए उपयुक्त हो, दिव्यांगजन श्रेणियों की उपयुक्तता के लिए कृपया अनुलग्नक 'ए' देखें।
- 11.7.2. बेंचमार्क विकलांगता वाले अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक से यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कि संबंधित व्यक्ति लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए लेखक आवश्यक है, लेखक की सुविधा दी जा सकती है। अभ्यर्थी अनुलग्नक VIII(जी) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और अनुलग्नक VIII(डी) के अनुसार वचन पत्र परीक्षा केंद्र पर जमा करने के बाद स्क्राइब की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- 11.7.3. 40% से कम विकलांगता वाले दिव्यांगजन (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं) परंतु लिखने में कठिनाई होने पर वे भी परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक VIII(ई) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और अनुलग्नक VIII(एफ) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता ले सकते हैं।
- 11.7.4. सभी एक-आंख वाले अभ्यर्थियों और ऐसे अभ्यर्थियों जिनकी दृष्टि विकलांगता 40% से कम है, को दृष्टिबाधित व्यक्ति नहीं माना जाएगा।
- 11.7.5. उपरोक्त पैरा 11.7.1, 11.7.2 या 11.7.3 के अंतर्गत स्क्राइब के लिए पात्र अभ्यर्थी, जो स्क्राइब सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुनना होगा।
- 11.7.6. पात्र स्क्राइब को अपने खर्च पर स्वयं स्क्राइब की व्यवस्था करनी होगी।
- 11.7.7. जिन अभ्यर्थियों ने अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुना है:
- यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका स्क्राइब आरआरबी के साथ पंजीकृत है [rrbapply.gov.in (कृपया पैरा 11.7 देखें) (स्क्राइब के पंजीकरण के संबंध में)]
 - संशोधन विंडो बंद होने के तुरंत बाद प्रदान की गई 5-दिवसीय विंडो के दौरान आवेदन पोर्टल पर लॉग ऑन करके स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।
 - अपने स्क्राइब का वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) नंबर दर्ज करें। आपके स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।
 - स्क्राइब की पुष्टि के लिए स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करना होगा।
- 11.7.8. **स्क्राइब के लिए पंजीकरण:**
- कोई भी व्यक्ति जो स्क्राइब के रूप में अपनी सेवाएं देना चाहता है, उसे आरआरबी में एक खाता बनाना होगा rrbapply.gov.in और अपने खाते के विवरण का उपयोग करके स्वयं को वहां एक स्क्राइब के रूप में पंजीकृत करा सकते हैं। सफल पंजीकरण के बाद, एक पंजीकरण संख्या (ओटीआर नंबर) तैयार की जाएगी और स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी।

- b) जो उम्मीदवार उपरोक्त पैरा 11.7.1, 11.7.2 और 11.7.3 में वर्णित अनुसार स्क्राइब के लिए पात्र हैं और स्क्राइब सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुनना होगा। जिन उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुना है, उन्हें संशोधन विंडो बंद होने के तुरंत बाद उपलब्ध कराई जाने वाली पाँच दिनों की अवधि के दौरान अपने स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना होगा। ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन पोर्टल पर लॉग इन करना होगा और स्क्राइब का ओटीआर नंबर दर्ज करना होगा। स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उम्मीदवार को स्क्राइब से यह ओटीपी प्राप्त करना होगा और स्क्राइब की पुष्टि के लिए इसे पोर्टल पर दर्ज करना होगा।
- c) अभ्यर्थी के साथ आने वाले स्क्राइब को अलग से ई-कॉल लेटर जारी किया जाएगा। परीक्षा के दिन स्क्राइब को पंजीकरण के दौरान प्रयुक्त मूल एवं वैध पहचान पत्र साथ लाना होगा।

11.7.9. किसी भी व्यक्ति को स्क्राइब के रूप में नियुक्त करने से पहले स्क्राइब के लिए पात्र उम्मीदवारों को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए:

- a) कोई भी उम्मीदवार जो स्क्राइब का उपयोग कर रहा है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा में स्क्राइब का उपयोग करने के योग्य है/हैं। कोई भी उम्मीदवार जो ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार स्क्राइब का उपयोग करने के योग्य नहीं है, और ऑनलाइन परीक्षा में स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय का उपयोग करता है, उसे भर्ती प्रक्रिया में आगे भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके स्क्राइब का उपयोग करने वाले किसी भी उम्मीदवार को, यदि वह पहले ही रेलवे सेवा में शामिल हो चुका है, बिना किसी सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है।
- b) कोई व्यक्ति केवल rrbapply.gov.in पर आरआरबी के साथ एकमुश्त पंजीकरण (ओटीआर) पूरा करने के बाद ही स्क्राइब के रूप में कार्य कर सकेगा।
- c) एक स्क्राइब एक ही परीक्षा में एक से अधिक अभ्यर्थियों को सहायता नहीं देगा।
- d) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाला अभ्यर्थी उसी सीईएन में किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए स्क्राइब के रूप में कार्य नहीं कर सकता। स्क्राइब और अभ्यर्थी दोनों को इस आशय का एक घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी ने उसी परीक्षा में किसी अन्य अभ्यर्थी की स्क्राइब के रूप में सहायता की है, तो दोनों अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- e) अभ्यर्थी के स्वयं के लेखन सहायक/ स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर कम होनी चाहिए।
- f) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्क्राइब के संबंध में दी गई जानकारी सही हो। यदि परीक्षा के दौरान या उसके बाद किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी ने स्क्राइब की सुविधा ली है और स्क्राइब किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करता हुआ पाया जाता है और/या स्क्राइब या अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी झूठी या गलत पाई जाती है, तो अभ्यर्थी पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और उसकी उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी।
- g) परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा साथ लाए गए स्क्राइब के किसी भी दुर्व्यवहार के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- h) परीक्षा के दौरान, किसी भी चरण में, यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब स्वयं प्रश्नों का उत्तर दे रहा है/हल कर रहा है, तो ऐसे अभ्यर्थी का परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। स्क्राइब की सेवाएँ लेने वाले ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी यदि परीक्षा के बाद परीक्षा प्रशासक द्वारा यह रिपोर्ट दी जाती है कि स्क्राइब ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों के उत्तर दिए हैं।
- i) परीक्षा केंद्र पर स्क्राइब का परिवर्तन:
- परीक्षा स्थल पर स्क्राइब बदलने की अनुमति आमतौर पर नहीं होती है। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में, उचित कारण बताते हुए, बदलाव की अनुमति दी जा सकती है। नए स्क्राइब को आरआरबी में स्क्राइब के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, और वन-टाइम पंजीकरण (ओटीआर) प्रिंटआउट की एक प्रति परीक्षा केंद्र पर जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त, नए स्क्राइब को पैरा 11.7.9 में उल्लिखित स्क्राइब के लिए लागू अन्य सभी मानदंडों को पूरा करना होगा। उम्मीदवारों को "स्क्राइब बदलने" के फॉर्म और 'स्क्राइब के उपयोग के लिए वचन पत्र' फॉर्म में विवरण भरना होगा।

- यदि ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, तो आरआरबी अपने विवेकानुसार एक स्क्राइब नियुक्त कर सकता है, बशर्ते कि अभ्यर्थी अभी भी स्क्राइब सुविधा का लाभ उठाना चाहता हो। आरआरबी द्वारा प्रदान किए जाने वाले स्क्राइब की योग्यता सीईएन की न्यूनतम योग्यता से अधिक नहीं होगी। हालाँकि, स्क्राइब की योग्यता हमेशा मैट्रिक या उससे ऊपर होगी।

11.7.10. पैरा 11.7.1, 11.7.2 और 11.7.3 में उल्लिखित अनुसार, लेखक की सेवाओं का उपयोग करने के लिए पात्र अभ्यर्थी, यदि चाहें तो लेखक की सुविधा और/या प्रतिपूरक समय का लाभ उठा सकते हैं।

- a) उपर्युक्त पैराग्राफों में निर्दिष्ट अनुसार, स्क्राइब का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा।
- b) पैरा 11.7.1, 11.7.2, और 11.7.3 में संदर्भित अभ्यर्थी, जो स्क्राइब की सुविधा के लिए पात्र हैं, लेकिन इस सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं, उन्हें भी, यदि वे चाहें तो, परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जा सकता है।

11.7.11. स्क्राइब की नियुक्ति से संबंधित शर्तें समय-समय पर संशोधित सक्षम प्राधिकारी के विभिन्न प्रावधानों/आदेशों के अधीन होंगी।

12.0 सेवारत कर्मचारियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी):

12.1 रेलवे या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित किसी भी केंद्र/राज्य सरकार के विभाग में सेवारत (प्रवेश प्रशिक्षण/परिबीक्षा अवधि प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों सहित) उम्मीदवार अपने नियोक्ता को विधिवत सूचित करते हुए सीधे आरआरबी को आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों की यह पूर्ण जिम्मेदारी है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर/दस्तावेज सत्यापन के दौरान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

12.2 अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि संबंधित आरआरबी को उनके नियोक्ता से कोई पत्र प्राप्त होता है, जिसमें परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले/परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को अनुमति देने से मना किया जाता है, तो उनका आवेदन/उम्मीदवारी अस्वीकृत/रद्द कर दी जाएगी।

13.0 भर्ती प्रक्रिया:

उम्मीदवार को आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर दिए गए लिंक के माध्यम से केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। उम्मीदवार केवल एक ही आरआरबी में आवेदन कर सकता है। एक बार आरआरबी का चयन हो जाने पर वह अंतिम होगा। एक से अधिक आरआरबी में आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे

- a. एकल चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षण (सीबीटी),
- b. सीबीएटी और
- c. दस्तावेज सत्यापन
- d. चिकित्सा परीक्षण।

चयन उपरोक्त भर्ती चरणों के आधार पर, योग्यता के अनुसार ही किया जाएगा। सभी गतिविधियों जैसे कि सीबीटी, सीबीएटी, दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा या अन्य कोई भी अतिरिक्त गतिविधि, की तिथि, समय और स्थान, आरआरबी द्वारा निर्धारित किया जाएगा और पात्र उम्मीदवारों को यथासमय सूचित किया जाएगा। उपरोक्त किसी भी गतिविधि को स्थगित करने या स्थान, तिथि और पाली में परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन के दौरान, उम्मीदवारों से 'खाता बनाएँ' के लिए कहा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार ने 2024 और 2025 में अधिसूचित सीईएन के लिए पहले ही खाता बना लिया है, तो उन्हें इस सीईएन के लिए भी लॉग इन और आवेदन करने के लिए उसी खाते के क्रेडेंशियल्स का उपयोग करना चाहिए। यदि उम्मीदवारों ने पहले खाता नहीं

केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 04/2025 पृष्ठ 22/57

बनाया है, तो उन्हें इस सीईएन के लिए आवेदन भरने से पहले 'खाता बनाएँ' करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे खाता बनाने के लिए आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानी से भरें, क्योंकि खाता बन जाने के बाद किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं होगी। खाता बन जाने के बाद 'खाता बनाएँ' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) को किसी भी स्तर पर संशोधित नहीं किया जा सकता है।

13.1 कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी)

- कुल अवधि: 120 मिनट
- कुल प्रश्न: 100
- इसमें नकारात्मक अंकन होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा।
- कई पालियों में आयोजित सीबीटी के लिए सामान्यीकरण किया जाएगा।

सीबीटी स्क्रीनिंग प्रकृति का है और सीबीटी के लिए प्रश्नों का स्तर सामान्यतः पदों के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों के अनुरूप होगा।

सीबीटी के सामान्यीकृत स्कोर का उपयोग सीबीटी के लिए उम्मीदवारों की योग्यता के अनुसार उनकी सूची बनाने के लिए किया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है ओबीसी (एनसीएल) / एससी / एसटी / ईडब्ल्यूएस और एक्सएसएम के आरक्षण लाभ का लाभ उठाने वाले सीबीटी को भर्ती प्रक्रिया के सभी बाद के चरणों के लिए केवल ओबीसी (एनसीएल) / एससी / एसटी / ईडब्ल्यूएस और एक्सएसएम के खिलाफ ही माना जाएगा।

सीबीटी के लिए पाठ्यक्रम: प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिनमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसमें निम्नलिखित से संबंधित प्रश्न शामिल होने की संभावना है:

1) विश्लेषणात्मक और गणितीय क्षमता

a. अंक शास्त्र:

संख्या प्रणाली, अनुपात और समानुपात,
औसत, प्रतिशत, लाभ, हानि और छूट,
समय, गति, दूरी, शक्ति और कार्य, बीजगणित, रैखिक समीकरण।
अंकगणितीय प्रगति, एलसीएम, एचसीएफ,
ज्यामिति, क्षेत्रफल और आयतन,
संभाव्यता और सांख्यिकी (दोनों केवल बुनियादी स्तर)।

b. डेटा विश्लेषण और व्याख्या

बहु-स्रोत डेटा विश्लेषण - पाठ, सारणीबद्ध डेटा और ग्राफिक रूप से प्रदर्शित डेटा (चार्ट, ग्राफ, स्कैटर प्लॉट, पाई चार्ट, सांख्यिकीय वक्र वितरण, वेन आरेख) से परीक्षण, विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना।

डेटा पर्याप्तता, डेटा व्यवस्था।

2) तार्किक क्षमता

ए-तार्किक तर्क

बाइनरी लॉजिक, सिलोजिज्म,
घड़ियाँ और कैलेंडर,
मान्यताएँ, रक्त संबंध, वंश वृक्ष,
तर्क-आधारित पहेलियाँ सुलझाना।

बी-समझबूझ कर पढ़ना

इतिहास, समाज, साहित्य, विज्ञान, पर्यावरण, सार, पौराणिक कथाओं, प्रौद्योगिकी और संस्कृति में से किसी भी विषय से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिए जाएंगे और उम्मीदवार को निम्नलिखित पर आधारित प्रश्नों को समझना और उनका उत्तर देना होगा -

मुख्य विचार,
समर्थनकारी उपाय,
आवेदन पत्र,
तार्किक संरचना और
दिए गए पैराग्राफ की शैली.

3) मानसिक तर्क

सादृश्य - दो वस्तुओं के बीच संबंध की पहचान करना और उसे दूसरी जोड़ी पर लागू करना,
श्रृंखला पूर्णता - संख्याओं के अनुक्रम में पैटर्न की पहचान करना और अगले पद की भविष्यवाणी करना,
कोडिंग-डिकोडिंग प्रकार के प्रश्नों को हल करना,
रैंकिंग और व्यवस्था आधारित समस्याओं को हल करना।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि ऊपर सूचीबद्ध विषय उदाहरणात्मक हैं और जरूरी नहीं कि संपूर्ण.

अनुभागवार वितरण-

परीक्षा अवधि	प्रश्नों की संख्या (प्रत्येक 1 अंक का)			प्रश्नों की कुल संख्या
	विश्लेषणात्मक और गणितीय क्षमता	तार्किक क्षमता	मानसिक तर्क	
120	60	20	20	100

उपरोक्त तालिका में दिया गया अनुभागवार वितरण केवल सांकेतिक है तथा वास्तविक प्रश्नपत्रों में कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं।

विभिन्न श्रेणियों में पात्रता के लिए न्यूनतम अर्हक अंकों का प्रतिशत: अनारक्षित - 40%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग - 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) - 30%, अनुसूचित जाति - 30%, अनुसूचित जनजाति - 25%। यह पूर्व सैनिक उम्मीदवारों पर भी उनके समुदाय के अनुसार लागू होता है। पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों की कमी के मामले में पात्रता के लिए अर्हक अंकों के इन प्रतिशत में 2 अंकों की छूट दी जा सकती है।

13.2 कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा (सीबीएटी)

सीबीएटी के लिए प्रत्येक समुदाय अर्थात् अनारक्षित, ओबीसी-एनसीएल, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस (पूर्व सैनिक सहित) से रिक्तियों की संख्या के 8 गुना उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उन्हें सीबीटी में उनके प्रदर्शन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ऐसे शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में दृष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुलग्नक VI सीबीएटी के दौरान मूल रूप में प्रस्तुत करें, अन्यथा उन्हें परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सीबीएटी में प्रश्न और उत्तर विकल्प केवल अंग्रेजी और हिंदी में होंगे।

योग्यता अंक: उत्तीर्ण होने के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक टेस्ट में न्यूनतम 42 टी-स्कोर प्राप्त करने होंगे। यह सभी उम्मीदवारों पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी समुदाय या श्रेणी के हों, जैसे कि एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/एक्सएसएम, और न्यूनतम टी-स्कोर में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

सेक्शन कंट्रोलर के पद पर विचार करने के लिए अभ्यर्थियों को सीबीएटी की प्रत्येक परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा।

सीबीएटी में कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।

केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 04/2025 पृष्ठ 24/57

मेरिट सूची केवल सीबीएटी में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में से तैयार की जाएगी, जिसमें सीबीटी में प्राप्त अंकों के लिए 70% वेटेज और सीबीएटी में प्राप्त अंकों के लिए 30% वेटेज होगा।

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आरडीएसओ की वेबसाइट देखें (www.rdso.indianrailways.gov.in->निदेशालय->मनोवैज्ञानिक तकनीकी निदेशालय ->सीबीएटी के लिए दिशानिर्देश) प्रश्न पैटर्न और सीबीएटी के अन्य विवरण के लिए देखें।

मेरिट केवल सीबीएटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए तैयार की जाएगी।

13.3 दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी):

सीबीएटी में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर, सीबीटी में प्राप्त अंकों के लिए 70% और सीबीएटी में प्राप्त अंकों के लिए 30% वेटेज के साथ एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। रिक्तियों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और रेलवे विकल्पों के अनुसार दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।

यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उनकी योग्यता आयु मानदंड के आधार पर निर्धारित की जाएगी, अर्थात्, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को उच्च योग्यता क्रम में रखा जाएगा और यदि आयु समान है, तो बराबरी तोड़ने के लिए नाम के वर्णानुक्रम (A से Z) को ध्यान में रखा जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित चिकित्सा परीक्षा, शैक्षिक और सामुदायिक प्रमाणपत्रों के अंतिम सत्यापन और अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त/चरित्र के सत्यापन में उत्तीर्ण होने के अधीन है। अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड केवल सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा करता है और नियुक्ति केवल संबंधित रेलवे प्रशासन द्वारा ही प्रदान की जाती है।

13.4 अंकों का सामान्यीकरण:

जब भी समान पाठ्यक्रम के लिए कई सत्रों में सीबीटी आयोजित की जाती है, तो विभिन्न चरणों के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर की जाएगी।

14.0 आवेदन कैसे करें

14.1 अभ्यर्थियों को गलतियों से बचने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विस्तृत सीईएन में दी गई सभी जानकारी और निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।

14.2 खाता बनाएं

14.2.1 आरआरबी के साथ खाता बनाएँ:

- उम्मीदवारों को पहले नीचे पैरा 16.0 में सूचीबद्ध आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों पर दिए गए लिंक का उपयोग करके इस सीईएन के लिए एक खाता बनाना होगा। जिन उम्मीदवारों ने पहले ही पिछले आरआरबी सीईएन के लिए खाता बना लिया है, उन्हें इस सीईएन के लिए आवेदन करने के लिए उसी लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना चाहिए और साथ ही आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर दिए गए लिंक का भी उपयोग करना चाहिए।
- खाता निर्माण के दौरान आवश्यक ओटीपी प्राप्त करने के लिए एक वैध व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और सक्रिय ईमेल आईडी अनिवार्य है।
- बाद में “खाता बनाएँ” फॉर्म में दर्ज किए गए विवरण में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा, जिसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी शामिल है।
- इसलिए, अभ्यर्थियों को दृढ़तापूर्वक सलाह दी जाती है कि वे सभी जानकारी सावधानीपूर्वक और

केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 04/2025 पृष्ठ25/57

सटीक रूप से दर्ज करें, क्योंकि खाता बनाने के बाद किसी भी सुधार या संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

14.2.2 पहचान प्रमाणीकरण सलाह

- अभ्यर्थियों को अपने हित में यह सलाह दी जाती है कि वे “खाता बनाएं” प्रक्रिया के दौरान डिजी लॉकर या आधार का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित करें।
- ऐसा करने से भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में सत्यापन आसान और तीव्र हो जाएगा।
- कृपया ध्यान दें कि जो आवेदक वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करना चुनते हैं, उन्हें भर्ती के प्रत्येक चरण में काफी सख्त और अधिक विस्तृत जांच से गुजरना होगा।

14.3 ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश

- a) इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को केवल आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट पर दिए गए लिंक का ही उपयोग करना होगा। कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विस्तृत सीईएन में दी गई सभी जानकारी और निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- b) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सही जानकारी भरनी होगी तथा जमा करने से पहले उसे पुनः जांचना होगा।
- c) आवेदन जमा करने के बाद आवेदक ऑनलाइन आवेदन में कोई सुधार नहीं कर सकेगा जब तक की सुधार विंडो लागू नहीं होती।
- d) परीक्षा का माध्यम: सीबीटी के प्रश्न अंग्रेजी, हिंदी और 13 क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं (अर्थात्, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू) में उपलब्ध होंगे। तदनुसार, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सूचीबद्ध माध्यमों में से किसी एक को चुनना होगा। सीबीटी प्रश्न चुनी गई भाषा और अंग्रेजी में प्रदर्शित किए जाएंगे।
- e) चयनित आरआरबी के अंतर्गत जोन वरीयता का क्रम अभ्यर्थी को अधिसूचित पद के लिए जोन वरीयता का क्रम बताना होगा।
- f) आवेदन जमा करने के बाद, अभ्यर्थी को पैरा 7.1 में बताए अनुसार परीक्षा शुल्क के भुगतान का तरीका चुनने और भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण: कृपया इस सीईएन के अंतर्गत जमा किए गए आवेदनों के लिए भुगतान विधि की प्रामाणिकता और आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि के बारे में सावधान रहें। भुगतान करते समय अनधिकृत वेबसाइटों से बचें।
- g) अंततः, शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आवेदक को सफल ऑनलाइन भुगतान की पुष्टि ईमेल और एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी।

14.4 आवेदन के दौरान उम्मीदवार की लाइव फोटो कैप्चरिंग

आवेदन के दौरान अभ्यर्थी का लाइव फोटोग्राफ लेने के निर्देश:

- a) आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को पहले से मौजूद फोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।

- b) आवेदन मॉड्यूल को आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी की लाइव तस्वीर लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- c) लाइव फोटो वेब कैम या मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा (स्क्रीन साइड कैमरा) द्वारा ली जा सकती है जब तक की सुधार विंडो लागू नहीं होती
- d) सुनिश्चित करें कि आप पृष्ठभूमि के साथ कंट्रास्ट बनाए रखने के लिए गैर-सफेद कपड़े पहनें, अधिमानतः गहरे रंग के।
- e) इस प्रयोजन के लिए, अभ्यर्थी को आवेदन मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़ा होना या बैठना होगा तथा नीचे दिए गए निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना होगा:

- फोटो खींचने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर हो।
- अपने आप को कैमरे के ठीक सामने रखें और तटस्थ भाव से सीधे सामने देखें।
- सुनिश्चित करें कि आपका पूरा चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और एप्लिकेशन मॉड्यूल द्वारा दिखाए गए फ्रेम के भीतर केंद्रित है।
- सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा कैमरे से न तो बहुत नजदीक हो और न ही बहुत दूर हो, तथा सिर या चेहरे का कोई भी हिस्सा चित्रित फ्रेम से बाहर न हो।
- फोटो खींचते समय टोपी, मास्क या चश्मा न पहनें।
- अभ्यर्थी अपने द्वारा खींची गई तस्वीर का पूर्वावलोकन कर सकते हैं और यदि वे तस्वीर से संतुष्ट नहीं हैं तो आवेदन जमा होने तक उसे दोबारा ले सकते हैं।
- इन दिशानिर्देशों के अनुरूप न होने वाले फोटोग्राफ वाले आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
- भर्ती की पूरी प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी की उपस्थिति आवेदन के साथ प्रस्तुत फोटोग्राफ से मेल खानी चाहिए।
- आँख पूरी तरह से खुली हो अन्यथा फोटो कैप्चर नहीं होगी।

महत्वपूर्ण नोट: उम्मीदवारों को पहले से मौजूद किसी मुद्रित या डिजिटल तस्वीर की तस्वीर लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई भी आवेदन जिसमें ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की गई हो, सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

14.5 ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड करने के लिए अनिवार्य रूप से स्कैन किए गए दस्तावेज तैयार रखने होंगे।
निम्नलिखित को अपलोड करने की आवश्यकता है

- 1) सीईएन में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार JPG/JPEG प्रारूप में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
- 2) सीईएन में दिए गए विनिर्देश के अनुसार पीडीएफ प्रारूप में एससी/एसटी प्रमाण पत्र (निःशुल्क रेल यात्रा पास का अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों के लिए)

14.5.1 अभ्यर्थी के हस्ताक्षर: अभ्यर्थियों को नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करनी होगी:

- हस्ताक्षर केवल अभ्यर्थी द्वारा ही किया जाना चाहिए।
- सफेद कागज पर काली स्याही वाली कलम का प्रयोग करें।
- हस्ताक्षर सीधी लिखावट (यानी, कर्सिव/जुड़े हुए अक्षरों) में होने चाहिए, बड़े, बड़े या अलग-अलग अक्षरों में नहीं। हस्ताक्षर स्पष्ट, सुपाठ्य और स्कैन किए गए क्षेत्र में पूरी तरह से दिखाई देने वाले होने चाहिए।

हस्ताक्षर के लिए विनिर्देश:

- हस्ताक्षरित कागज को न्यूनतम 100 DPI रिज़ॉल्यूशन का उपयोग करके स्कैन करें।
- छवि फ़ाइल प्रारूप: केवल JPG/JPEG

केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 04/2025 पृष्ठ27/57

- फ़ाइल का आकार: 30 KB और 49 KB के बीच
- छवि आयाम: न्यूनतम 140 पिक्सेल (चौड़ाई) × 60 पिक्सेल (ऊँचाई)
- स्कैन किए गए हस्ताक्षर आवेदन पत्र पर निर्दिष्ट स्कैन बॉक्स में स्थित होने चाहिए: बॉक्स का आकार: 35 मिमी (चौड़ाई) × 20 मिमी (ऊँचाई)। हस्ताक्षर की छवि इस बॉक्स के मध्य में होनी चाहिए।

हस्ताक्षर से संबंधित ऑनलाइन आवेदनों की अस्वीकृति के आधार:

ऑनलाइन आवेदन और सीईएन के लिए उम्मीदवार की उम्मीदवारी निम्नलिखित हस्ताक्षर-संबंधी आधारों पर भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अस्वीकार की जा सकती है:

- गैर-श्वेत पृष्ठभूमि का उपयोग
- हस्ताक्षर के लिए गैर-काली स्याही का उपयोग
- हस्ताक्षर को सीधी लिखावट के बजाय बड़े या बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए
- खराब रिज़ॉल्यूशन या अस्पष्ट हस्ताक्षर छवि
- अपूर्ण या आंशिक रूप से दिखाई देने वाला हस्ताक्षर
- हस्ताक्षर के अलावा कोई अन्य छवि अपलोड करना
- कोई हस्ताक्षर नहीं (रिक्त)
- हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठे का निशान

अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी हस्ताक्षर छवि भर्ती के किसी भी चरण में अस्वीकृति से बचने के लिए निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

महत्वपूर्ण: आवेदन पर हस्ताक्षर निम्नलिखित के दौरान लिए गए हस्ताक्षरों से मेल खाने चाहिए:

- परीक्षा
- दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी)
- चिकित्सा परीक्षा (एमई)
- नियुक्ति

14.5.2 एससी/एसटी प्रमाणपत्र (निःशुल्क रेल यात्रा पास चाहने वाले अभ्यर्थियों के लिए)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी जो निःशुल्क रेलवे यात्रा पास का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित विवरणों के साथ अपने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करनी होगी:

- दस्तावेज़ केवल पीडीएफ प्रारूप में होना चाहिए।
- फ़ाइल का आकार 400 KB से कम होना चाहिए।
- प्रमाणपत्र सुपाठ्य, स्पष्ट और आसानी से पढ़ने योग्य होना चाहिए।
- यह ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक नवीनतम और वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए।

14.6 स्क्राइब की सहायता

1. स्क्राइब सहायता के लिए पात्रता

- दृष्टिहीनता, गति-संचालन विकलांगता (दोनों भुजाएं प्रभावित - बीए) और मस्तिष्क पक्षाघात की श्रेणियों में मानक विकलांगता वाले अभ्यर्थी, यदि अभ्यर्थी चाहें तो, स्क्राइब की सहायता के लिए पात्र हैं। (कृपया पैरा 11.7.1 देखें)
- अन्य श्रेणियों की मानक विकलांगताओं के लिए, स्क्राइब की सुविधा केवल मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक से प्रमाण पत्र

केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 04/2025 पृष्ठ28/57

प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि अभ्यर्थी को लिखने में शारीरिक कठिनाई है और उनकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए लेखक आवश्यक है। (कृपया पैरा 11.7.2 देखें)

- a. प्रमाणपत्र अनुलग्नक VIII(जी) में दिए गए प्रारूप में होना चाहिए।
 - b. परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक VIII(डी) के अनुसार वचन पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- 40% से कम विकलांगता वाले उम्मीदवार (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) के अंतर्गत आते हैं लेकिन धारा 2(आर) के अंतर्गत नहीं) और लिखने में कठिनाई होने पर भी लेखक की सहायता प्राप्त कर सकते हैं: (कृपया पैरा 11.7.3 देखें)
 - a. अनुलग्नक VIII(ई) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, और
 - b. परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक VIII(एफ) के अनुसार वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - एक-आंख वाले उम्मीदवार और जिन उम्मीदवारों की दृश्य विकलांगता 40% से कम है, उन्हें दृष्टिबाधित नहीं माना जाता है।
 - स्क्राइब पात्र पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुनना होगा।
 - स्क्राइब के लिए पात्र अभ्यर्थियों को अपने खर्च पर स्वयं ही स्क्राइब की व्यवस्था करनी होगी।

2. स्क्राइब का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्देश

- स्क्राइब के लिए पात्र दिव्यांगजन उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुनना चाहिए।
- अपने खर्च पर स्वयं ही स्क्राइब की व्यवस्था करें।
- यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका स्क्राइब पंजीकृत है rrbapply.gov.in (पैरा 11.7.8 देखें)।
- संशोधन विंडो बंद होने के तुरंत बाद उपलब्ध पाँच दिनों की अवधि के दौरान, आवेदन पोर्टल पर लॉग इन करके, स्क्राइब का विवरण और अपने स्क्राइब का वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) नंबर दर्ज करना होगा। स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को स्क्राइब की पुष्टि के लिए यह OTP दर्ज करना होगा।

नोट: किसी भी व्यक्ति को स्क्राइब के रूप में नियुक्त करने से पहले, स्क्राइब के लिए लागू शर्तों/योग्यताओं को समझने के लिए कृपया सीईएन का पैरा 11.7.9 पढ़ें।

3. स्क्राइब के लिए पंजीकरण

- किसी भी व्यक्ति को, जिसे स्क्राइब -योग्य उम्मीदवार द्वारा स्क्राइब के रूप में नियुक्त किया गया है, आरआरबी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। rrbapply.gov.in होम पेज → स्क्राइब पंजीकरण पर जाकर
- सफल पंजीकरण के बाद, एक ओटीआर नंबर तैयार किया जाएगा और स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा।
- केवल वैध ओटीआर नंबर वाले पंजीकृत स्क्राइब को ही स्क्राइब के रूप में अपनी सेवाएं देने की अनुमति होगी।

नोट: स्क्राइब को एक अलग ई-कॉल लेटर जारी किया जाएगा। स्क्राइब को परीक्षा के दिन पंजीकरण के समय इस्तेमाल किया गया मूल और वैध पहचान पत्र साथ लाना होगा।

केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 04/2025 पृष्ठ 29/57

4. स्क्राइब पर लागू शर्तें

स्क्राइब के लिए पात्र अभ्यर्थियों को इन शर्तों का पालन करना होगा:

- केवल दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र व्यक्ति ही स्क्राइब का उपयोग कर सकते हैं। स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय का अनधिकृत उपयोग अयोग्यता का कारण बनेगा, और यदि पहले से ही नियुक्त है, तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से हटा दिया जाएगा।
- कोई व्यक्ति ओटीआर पंजीकरण पूरा करने के बाद ही स्क्राइब के रूप में कार्य कर सकता है। rrbapply.gov.in.
- एक स्क्राइब एक ही सीईएन में केवल एक ही अभ्यर्थी की सहायता कर सकता है।
- एक उम्मीदवार उसी केंद्रीय शैक्षणिक सत्र में किसी अन्य उम्मीदवार के लिए लेखक के रूप में कार्य नहीं कर सकता। उल्लंघन करने पर दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- अभ्यर्थी के स्वयं के लेखन सहायक की शैक्षिक योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर कम होनी चाहिए।
- स्क्राइब के बारे में दी गई जानकारी की सत्यता के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार है। किसी भी प्रकार की छद्म पहचान या गलत जानकारी देने पर उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
- स्क्राइब द्वारा किये गए किसी भी दुर्व्यवहार के लिए अभ्यर्थी उत्तरदायी होगा।
- यदि किसी भी समय स्क्राइब स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर देते या हल करते पाया गया तो अभ्यर्थी का परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा तथा उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

14.7 प्रस्तुत आवेदन विवरण में सुधार:

पूर्ण ऑनलाइन आवेदन जमा करने और अपेक्षित शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद, जो उम्मीदवार किसी भी विवरण को संशोधित करना चाहते हैं ('खाता बनाएं' फॉर्म और चुने गए आरआरबी में भरे गए विवरण को छोड़कर) वे ₹250 प्रति संशोधन का गैर-वापसी योग्य संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकते हैं।

- 'खाता बनाएं' फॉर्म और 'चुने गए आरआरबी' में दर्ज विवरण को किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता।
- संशोधन विंडो खुल जाएगी 17.10.2025 से 26.10.2025 तक
- 26.10.2025 के बाद संशोधन के अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले सभी जानकारी सावधानीपूर्वक सत्यापित कर लें।

- उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) योजना, यह भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) का हिस्सा है और प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। देश भर में 1.5 लाख से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) हैं जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने और ई-वॉलेट के ज़रिए शुल्क भुगतान में आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर की सूची www.csc.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में जानने के लिए, कृपया यह लिंक खोलें - Find My Csc (<https://findmycsc.nic.in/csc/>).

16 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों या इस अधिसूचना में किसी भी बदलाव के बारे में प्रामाणिक जानकारी और नियमित अपडेट के लिए आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों को अक्सर देखें

आरआरबी वेबसाइटों की सूची		
अहमदाबाद www.rrbahmedabad.gov.in	चंडीगढ़ www.rrbcdg.gov.in	मुंबई www.rrbmumbai.gov.in
अजमेर www.rrbajmer.gov.in	चेन्नई www.rrbchennai.gov.in	मुजफ्फरपुर www.rrbmuzaffarpur.gov.in
प्रयागराज www.rrbald.gov.in	गोरखपुर www.rrbgkp.gov.in	पटना www.rrbpatna.gov.in
बेंगलुरु www.rbbnc.gov.in	गुवाहाटी www.rrbguwahati.gov.in	रांची www.rbranchi.gov.in
भोपाल www.rbbhopal.gov.in	जम्मू-श्रीनगर www.rrbjammu.nic.in	सिकंदराबाद www.rrbsecunderabad.gov.in
भुवनेश्वर www.rbbbs.gov.in	कोलकाता www.rrbkolkata.gov.in	सिलीगुड़ी www.rbsiligur.gov.in
बिलासपुर www.rbbilaspur.gov.in	मालदा www.rrbmalda.gov.in	तिरुवनंतपुरम www.rrbthiruvananthapuram.gov.in

(a) ऑनलाइन आवेदन में मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी की वैधता साबित करने का दायित्व अभ्यर्थियों पर होगा।

(b) महत्वपूर्ण:

- सभी महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया के संबंध में सलाह दी जाती है कि संबंधित आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट को ही देखें।
- हालाँकि, उपरोक्त के अतिरिक्त, उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी भी रखनी होगी। भर्ती प्रक्रिया के दौरान मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत ई-मेल आईडी सक्रिय रखें, ताकि एसएमएस और/या ईमेल के माध्यम से संचार भेजा जा सके।
- आरआरबी किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई-मेल पते में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेंगे।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों तथा आरआरबी के साथ पत्राचार के लिए अपना पंजीकरण नंबर ध्यानपूर्वक नोट कर लें।

17.0. आवेदन में संशोधन:

- ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के बाद, यदि कोई अभ्यर्थी इसमें और संशोधन करना चाहता है, तो 'खाता बनाएं' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) और चुने गए आरआरबी को छोड़कर कोई भी विवरण, वह ऐसा कर सकता है प्रत्येक अवसर के लिए 250/- रुपये का संशोधन शुल्क (वापसी योग्य नहीं) देना होगा। 'खाता बनाएं' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) और चुने गए आरआरबी में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।
- संशोधन शुल्क सभी अभ्यर्थियों को देना होगा, चाहे उनका समुदाय और श्रेणी कुछ भी हो।
- यदि कोई अभ्यर्थी अपनी जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में परिवर्तित करता है, तो उसे संशोधन शुल्क के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क का अंतर, अर्थात् 250 रुपये, देना होगा। ऐसा न करने पर उसका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- इसी प्रकार, यदि कोई उम्मीदवार पूर्व एस.एम./महिला/ट्रांसजेंडर से स्विच कर रहा है/पीडब्ल्यूबीडी से लेकर यूआर/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस/गैर-भूतपूर्व सैनिक/गैर-पीडब्ल्यूबीडी, पुरुष आदि के लिए आवेदन करने पर, उन्हें संशोधन शुल्क के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क का अंतर, अर्थात् 250 रुपये का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने पर, उनका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- (e) प्रत्येक अवसर के लिए संशोधन शुल्क का भुगतान करने पर ऑनलाइन आवेदन में किसी भी संख्या में संशोधन की अनुमति दी जाएगी।
- (f) ऑनलाइन आवेदन में संशोधन, संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ, किया जाएगा। इस केंद्रीय रोजगार सूचना (सीईएन) के लिए, जमा किए गए आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि, अर्थात् 16.10.2025 (23:59 बजे) के बाद 10 (दस) दिनों तक आवेदन शुल्क में संशोधन की अनुमति है। संशोधन विंडो 17.10.2025 से 26.10.2025 तक खुली रहेगी। इस अवधि के बाद, आरआरबी प्रस्तुत जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेंगे। आवेदन में।

18.0 अमान्य आवेदन / अस्वीकृतियाँ:

- (a) ऑनलाइन आवेदन निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकृत किए जा सकते हैं:
- एक ही वेतनमान वाले पद के लिए विभिन्न आरआरबी या एक ही आरआरबी में एक से अधिक आवेदन। ऐसी स्थिति में, सभी आवेदनों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों को भविष्य की सभी आरआरबी और आरआरसी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
 - अभ्यर्थी की लाइव फोटो लेने के लिए पैरा 14.4 में दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी अस्वीकृत कर दी जाएगी।
 - 14.5 के अंतर्गत हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर परीक्षा के किसी भी चरण में उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।
 - अभ्यर्थी का नाम किसी भी आरआरबी/आरआरसी की निषिद्ध सूची में होना।
 - 18.0(ए) के तहत उपरोक्त पैरा में सूचीबद्ध विचलन सहित कोई अन्य अनियमितता जो आवेदन जांच चरण के दौरान, सीबीटी के लिए ई-कॉल लेटर जारी करने से पहले/बाद में या दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान पाई जाती है।
- (b) **अस्वीकृत आवेदन:** अस्वीकृत आवेदनों का विवरण संबंधित आरआरबी की वेबसाइट पर लॉग इन करके देखा जा सकता है, साथ ही अस्वीकृति के कारण भी बताए जा सकते हैं, जो अंतिम और बाध्यकारी होंगे और इस विषय पर आगे कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन अस्वीकृत होने पर परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एसएमएस और ईमेल अलर्ट भी भेजे जाएंगे। उम्मीदवारों को डाक द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा।

19.0 ई-कॉल लेटर से संबंधित निर्देश:

- (a) सीबीटी और सीबीएटी की समय-सारिणी और ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिंक की जानकारी आरआरबी की वेबसाइटों पर उपलब्ध कराई जाएगी। योग्य उम्मीदवारों को एसएमएस और पंजीकृत ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा।
- (b) योग्य उम्मीदवार सीबीटी और सीबीएटी के लिए अपना ई-कॉल लेटर (और जहाँ लागू हो, स्क्राइब के लिए) आरआरबी की वेबसाइट से, जैसा कि पैरा 16.0 में दिया गया है, सीबीटी और सीबीएटी की तारीख से लगभग 4 (चार) दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं। हालाँकि, परीक्षा शहर के बारे में सूचना लगभग 10 (दस) दिन पहले दी जाएगी।
- (c) **अभ्यर्थियों को डाक द्वारा कोई कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा।**
- (d) सीबीटी और सीबीएटी के बारे में विस्तृत जानकारी और निर्देश ई-कॉल लेटर के साथ दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना और उनका पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन न करने पर उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- (e) **निःशुल्क यात्रा सुविधा:** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवारों के मामले में यदि वे मुफ्त रेल यात्रा का विकल्प चुनते हैं, तो उनके ई-कॉल लेटर में ही मुफ्त यात्रा प्राधिकरण (स्लीपर क्लास रेलवे पास) अंकित होगा। ऐसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को टिकट बुकिंग काउंटर पर अपने ई-कॉल लेटर और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति जमा करके रेल आरक्षण बुक करने की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को यात्रा के लिए अपना मूल सामुदायिक प्रमाणपत्र और पहचान का मूल निर्धारित प्रमाण साथ रखना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाएगा और तदनुसार शुल्क लिया जाएगा।
- (f) परीक्षा के दौरान, उम्मीदवारों को अपने ई-कॉल लेटर के साथ एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र (जैसे, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ई-आधार का प्रिंटआउट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यदि उम्मीदवार

सरकारी कर्मचारी है तो नियोक्ता द्वारा जारी वैध पहचान पत्र, स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्यालय फोटो पहचान पत्र (यदि अभी भी अध्ययन कर रहे हैं, आदि) परीक्षा हॉल में लाना होगा, अन्यथा उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- (g) सीबीटी/सीबीएटी/डीवी/एमई के दौरान, अभ्यर्थियों को रंगीन पासपोर्ट फोटो लाना होगा जो सीबीटी/सीबीएटी/डीवी/एमई की तिथि से दो महीने से अधिक पुराना न हो। अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए आते समय डाउनलोड किए गए ई-कॉल लेटर में स्व-घोषणा पैराग्राफ (जैसा पैराग्राफ सीबीटी के दौरान स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा), हस्ताक्षर और बाएं अंगूठे के निशान (एलटीआई) लिखने के लिए दिए गए रिक्त स्थान को खाली छोड़ देना चाहिए।

चेतावनी: अभ्यर्थियों को स्व-घोषणा का पैराग्राफ केवल परीक्षा हॉल में सीबीटी, सीबीएटी के स्थल पर निरीक्षक की उपस्थिति में लिखना होगा, हस्ताक्षर करना होगा और एलटीआई चिपकाना होगा और परीक्षा समाप्त होने से पहले उसे निरीक्षक को सौंपना होगा। स्व-घोषणा का पैराग्राफ पहले से लिखने और/या बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर करने वाले अभ्यर्थियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

- (h) आरआरबी उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा केंद्र, तिथि और सत्र में किसी भी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

20.0 मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाणपत्रों का प्रारूप:

- (a) डी.वी. के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को डी.वी. के समय अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ-साथ उनकी दो सेट स्व-सत्यापित फोटोकॉपी भी जमा करानी होंगी।
- (b) इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को पोर्टल के माध्यम से अपनी डीवी तिथि से पहले फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रतियां (असली रंग में) अपलोड करनी चाहिए - <https://oirms-ir.gov.in/rrbdv>।
- (c) सभी प्रमाणपत्र केवल अंग्रेजी या हिंदी में होने चाहिए। जहाँ प्रमाणपत्र अंग्रेजी/हिंदी में नहीं हैं, वहाँ आवश्यकतानुसार, स्व-प्रमाणित अनुवादित संस्करण (हिंदी/अंग्रेजी में) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में ही होने चाहिए।
- (d) दस्तावेज सत्यापन की तिथि पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थियों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- (e) दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

नोट्स

- i. जो उम्मीदवार आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाना चाहते हैं/या आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित/प्रासंगिक प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/पूर्व सैनिक के दर्जे के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी/आवेदन सामान्य श्रेणी के अंतर्गत विचार किए जाएंगे।

अनारक्षित श्रेणी, यदि पात्र हो। (प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप के अनुसार होने चाहिए।

किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

- ii. शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रों, जैसे कि प्रोविजनल या नियमित, में जारी करने की तिथि अंकित होनी चाहिए। यदि इन प्रमाणपत्रों की जारी करने की तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद है, तो अंतिम अर्हक परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तिथि सहित समेकित अंकपत्र या सभी सेमेस्टर/वर्षों के अलग-अलग अंकपत्र, जिनमें प्रत्येक पर परिणाम की घोषणा की तिथि अंकित हो, जमा करने होंगे। यदि इनमें से किसी भी अंकपत्र/प्रमाणपत्र में तिथि उपलब्ध न हो, तो दस्तावेज सत्यापन के समय संस्थान/विश्वविद्यालय/बोर्ड से इस आशय का एक प्रमाण पत्र (जिसमें परिणाम की घोषणा की तिथि दर्शाई गई हो) प्रस्तुत करना होगा।

21.0 अनुचित व्यवहार का प्रयोग:

- (a) भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में जालसाजी, प्रतिरूपण, धोखाधड़ी, कदाचार, प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास, तथ्यों का गलत प्रतिनिधित्व या दमन, गलत जानकारी प्रदान करना या झूठे दस्तावेज़ प्रस्तुत करना आदि जैसे किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाए जाने पर, किसी भी उम्मीदवार को सभी आरआरबी और आरआरसी की सभी परीक्षाओं में आजीवन अनुपस्थित रहने से वंचित कर दिया जाएगा। उसे रेलवे में नियुक्ति से भी वंचित कर दिया जाएगा और यदि वह पहले ही नियुक्त हो चुका है, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार पर उचित कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। [ध्यान दें: 21.06.2024 से प्रभावी "सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024" की ओर]
- (b) के संबंध में अनुचित हितों को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के अनुचित और अनुचित प्रभाव का उपयोग भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की चूक से संबंधित अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तथा उसे भर्ती प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा।
- (c) चेतावनी: रेलवे में नियुक्ति का प्रस्ताव देने वाले बेईमान तत्वों और नौकरी के गोरखधंधेबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी - चाहे वे प्रभाव के माध्यम से हों या अनुचित एवं अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल करके। आरआरबी भर्ती के लिए किसी एजेंट या कोचिंग सेंटर की नियुक्ति नहीं करता है। उम्मीदवारों को किसी भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा किए गए ऐसे किसी भी दावे के प्रति आगाह किया जाता है। उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाता है।

22.0 मिश्रित:

- (a) भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक विवरण दर्ज किया जाएगा। किसी भी विसंगति की स्थिति में, संबंधित आरआरबी किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने और उसके आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखेंगे।
- (b) आरआरबी किसी भी अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि करने तथा उसकी पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण प्रक्रियाएं संचालित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं।
- (c) आरआरबी किसी भी चरण में अतिरिक्त सीबीटी/डीवी (आवश्यकतानुसार) आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। आरआरबी इस सीईएन में अधिसूचित किसी भी श्रेणी के लिए किसी भी चरण में बिना कोई कारण बताए किसी भी भर्ती प्रक्रिया के आंशिक या पूर्ण भाग को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं। इसके अतिरिक्त, आरआरबी तकनीकी बाधाओं/अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण किसी भी सीबीटी/डीवी को पुनर्निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- (d) पात्रता, ऑनलाइन आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, मुफ्त रेल पास जारी करना, गलत सूचना के लिए दंडात्मक कार्रवाई, रिक्तियों में संशोधन, चयन का तरीका, कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) का संचालन, परीक्षा केंद्रों का आवंटन, चयन, चयनित उम्मीदवारों को पदों का आवंटन आदि से संबंधित सभी मामलों में आरआरबी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में आरआरबी द्वारा किसी भी पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (e) आरआरबी किसी भी अनजाने/मुद्रण त्रुटि के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा और ऐसी त्रुटियों को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अनजाने/मुद्रण त्रुटि(यों) के कारण, यदि किसी उम्मीदवार को सीबीटी/दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है या परिणाम घोषित किया जाता है, पैनल में शामिल किया जाता है या नियुक्त किया जाता है, तो आरआरबी परिणामों को रद्द/संशोधित करने और ऐसे उम्मीदवारों की पैनल में नियुक्ति को रद्द/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यदि वह पहले ही नियुक्त हो चुका है, तो उसे सेवा से हटाया जा सकता है, बशर्ते कि योग्यता और अवसर की समानता के सिद्धांत को मौलिक आधार माना जाए।
- (f) आवेदन के अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाने और सीबीटी के लिए ई-कॉल लेटर प्राप्त होने के बाद, इस सीईएन से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी मुद्दे, संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण/उच्च न्यायालय के कानूनी क्षेत्राधिकार में आएंगे, जिसके अंतर्गत संबंधित आरआरबी द्वारा चयनित उम्मीदवार स्थित है। हालाँकि, किसी भी

कारण से आवेदन अस्वीकार होने पर, इस सीईएन से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी मुद्दे, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मुंबई/महाराष्ट्र राज्य के उच्च न्यायालय के कानूनी क्षेत्राधिकार में आएंगे।

- (g) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्दिष्ट अधिसूचना के विरुद्ध जारी किए गए किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/महत्वपूर्ण सूचना के लिए आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों की जांच करें।
- (h) व्याख्या के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण और उसके बाद आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों पर प्रकाशित संशोधन/शुद्धिपत्र/महत्वपूर्ण सूचना को अंतिम माना जाएगा।

23.0 इस सीईएन में प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर:

भर्ती के चरणप्रक्रिया	सीबीटी= कंप्यूटर आधारित परीक्षा, सीबीएटी = कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा, डीवी = दस्तावेज़ सत्यापन, एमई = चिकित्सा परीक्षा
आरक्षण / आयु में छूट श्रेणी	ईवीसी = आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, एक्सएसएम = भूतपूर्व सैनिक, ओबीसी-एनसीएल = अन्य पिछड़ा वर्ग-नैर-क्रीमी लेयर, ओबीसी-सीएल = अन्य पिछड़ा वर्ग-क्रीमी लेयर, एससी = अनुसूचित जाति, एसटी = अनुसूचित जनजाति, यूआर = अनारक्षित (सामान्य) पीडब्ल्यूबीडी = बेंचमार्क विकलांगता वाला व्यक्ति, आरपीडब्ल्यूडी = विकलांग व्यक्तियों के अधिकार
विकलांग	वीआई = दृष्टि बाधित (बी=अंधा और एलवी=कम दृष्टि), एचआई = श्रवण बाधित (डी=बहरा, एचएच=सुनने में कठिनाई), एलडी =चलन अक्षमता (ओए=एक हाथ, ओएल=एक पैर, ओएएल=एक हाथ-पैर, बीएल=दोनों पैर, डीडब्लू=बौनापन, सीपी=सेरेब्रल पाल्सी, एएवी=एसिड अटैक पीड़ित, एलसी=कुष्ठ रोग ठीक, एमडीवाई=मांसपेशियों की दुर्बलता, एसडी (बिना एन/एलडीएफ के)=रीढ़ की हड्डी में विकृति (बिना तंत्रिका संबंधी/अंग की शिथिलता के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के)=रीढ़ की हड्डी में चोट (बिना तंत्रिका संबंधी/अंग की शिथिलता के), ओडी = अन्य अक्षमता, एमडी = एकाधिक अक्षमता
रेलवे क्षेत्र	सीआर= मध्य रेलवे, ईसीआर = पूर्व मध्य रेलवे, ईसीओआर = पूर्व तट रेलवे, ईआर = पूर्वी रेलवे, एनआर = उत्तर रेलवे, एनसीआर = उत्तर मध्य रेलवे, एनईआर = उत्तर पूर्वी रेलवे, एनएफआर = पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, एनडब्ल्यूआर = उत्तर पश्चिमी रेलवे, एसआर = दक्षिणी रेलवे, एससीआर = दक्षिण मध्य रेलवे, एसईआर = दक्षिण पूर्वी रेलवे, एसईसीआर = दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, एसडब्ल्यूआर = दक्षिण पश्चिमी रेलवे, डब्ल्यूआर = पश्चिमी रेलवे, डब्ल्यूसीआर = पश्चिम मध्य रेलवे, आरआरबी = रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरसी = रेलवे भर्ती सेल
रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी)	एडीआई= अहमदाबाद, एआईआई = अजमेर, पीआरवाईजे = प्रयागराज, बीसीटी = मुंबई, बीबीएस = भुवनेश्वर, बीपीएल = भोपाल, बीएलएसपी = बिलासपुर, सीडीजी = चंडीगढ़, जीकेपी = गोरखपुर, जीएचवाई = गुवाहाटी, जाट = जम्मू श्रीनगर, केओएल = कोलकाता, एमएएस = चेन्नई, एमएलडीटी = मालदा, एमएफपी = मुजफ्फरपुर, पीएनबीई = पटना, आरएनसी = रांची, एसबीसी = बेंगलुरु, एससी = सिकंदराबाद, एसजीयूजे = सिलीगुड़ी, टीवीसी = तिरुवनंतपुरम
सामान्य	सीईएन= केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना, आरटीआई = दाएँ अंगूठे का निशान, एलटीआई = बाएँ अंगूठे का निशान, पीएसयू = सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, पीयू = उत्पादन इकाई, एनओसी = अनापत्ति प्रमाण पत्र,

चेतावनी:

- रेलवे में नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके या अनुचित एवं अनैतिक तरीकों से धोखा देने की कोशिश करने वाले दलालों और नौकरी दिलाने वाले गिरोहों से सावधान रहें। आरआरबी ने अपनी ओर से किसी भी एजेंट या कोचिंग सेंटर को कार्रवाई के लिए नियुक्त नहीं किया है। उम्मीदवारों को किसी भी व्यक्ति/एजेंसी द्वारा किए जा रहे ऐसे किसी भी दावे के प्रति आगाह किया जाता है। उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाता है। बेईमान तत्वों से सावधान रहें और उनके जाल में न फँसें। आरआरबी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट देखें तथा बेईमान तत्वों/दलालों द्वारा डाली गई फर्जी वेबसाइटों और सोशल मीडिया सामग्री से सावधान रहें।

सीईएन-04/2025: पोस्ट पैरामीटर

क्रम. सं.	श्रेणी.सं.	पद का नाम	7वीं सीपीसी में स्तर	वेतन	मेड.एसटीडी	दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षिक योग्यता
						वीआई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	
1	1	सेक्शन कंट्रोलर	6	35400	ए2	नहीं	नहीं	ओए, ओएल	नहीं	नहीं	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या इसके समकक्ष।

सीईएन 04/2025 सेक्शन कंट्रोलर

आरआरबी और जोन-वाइज रिक्ति विवरण

कैट नं.	आरआरबी	क्षेत्र	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	ईडब्ल्यूएस	कुल	ईएक्सएसएम	दिव्यांगजन (एलडी)
1	अहमदाबाद	डब्ल्यूआर	7	1	1	5	1	15	1	1
	अजमेर	एनडब्ल्यूआर	12	7	3	7	1	30	3	1
		डब्ल्यूसीआर	2	0	0	1	0	3	0	0
	बैंगलोर	एसडब्ल्यूआर	11	3	2	5	3	24	3	1
	भोपाल	डब्ल्यूसीआर	3	0	0	1	0	4	0	0
		डब्ल्यूआर	1	1	0	0	0	2	0	0
	भुवनेश्वर	ईसीओआर	9	2	2	4	0	17	2	0
	बिलासपुर	सीआर	1	0	0	0	0	1	0	0
		एसईसीआर	12	4	2	7	1	26	2	2
	चंडीगढ़	एन.आर.	3	2	0	1	1	7	0	0
	चेन्नई	एसआर	3	0	1	1	0	5	0	1
	गोरखपुर	एनआर	3	1	1	3	1	9	1	0
	गुवाहाटी	एनएफआर	7	2	1	4	2	16	2	0
	जम्मू-श्रीनगर	एन.आर.	5	1	1	3	0	10	1	0
	कोलकाता	ईआर	14	3	2	5	1	25	2	2
		एसईआर	2	0	0	1	0	3	0	0
	मालदा	ईआर	8	2	2	2	0	14	2	2
	मुंबई	सीआर	10	3	3	5	3	24	2	1
		डब्ल्यूआर	7	3	2	4	2	18	2	1
		एससीआर	2	0	0	0	0	2	0	0
	मुजफ्फरपुर	ईसीआर	10	2	2	5	2	21	2	1
	पटना	ईसीआर	3	1	0	1	0	5	0	0
	प्रयागराज	एनसीआर	7	5	1	2	1	16	2	0
		एन.आर.	4	1	0	2	0	7	1	0
	रांची	ईसीआर	3	1	0	1	1	6	1	0
		एसईआर	4	1	0	3	1	9	1	2
	सिकंदराबाद	ईसीओआर	2	2	2	1	0	7	1	0
एससीआर		10	3	1	3	1	18	2	0	
सिलीगुड़ी	एनएफआर	2	1	0	1	1	5	1	0	
तिरुवनंतपुरम	एसआर	7	4	5	2	1	19	2	0	
	कुल योग		174	56	34	80	24	368	36	15

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री*/श्रीमती/कुमारी*.....
 बेटा/बेटी* का गांव शहर
 जिला/मंडल* का
 the राज्य/संघ इलाका* अंतर्गत आता है को the
 जाति*/जनजाति जिसे अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है/

अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत:-

- @ संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950.
- @ संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950.
- @ संविधान (अनुसूचित जातियों) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग सी राज्य) आदेश 1951;
- @ संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग सी राज्य) आदेश 1951; [अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन आदेश 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, द्वारा संशोधित]
- हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश, (संशोधन) अधिनियम 1976
- @ संविधान (जम्मू और कश्मीर) * अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- @ संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) * अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959
- @ संविधान (दादरा और नगर हवेली) * अनुसूचित जाति आदेश, 1962.
- @ संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियाँ, आदेश, 1962
- @ संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- @ संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
- @ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- @ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- @ संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970.
- @ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- @ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- @ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
- @ संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
- @ संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991
- @ संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996
- @ संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- @ संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002
- @ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

समय-समय पर संशोधित।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से पलायन कर गए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती *..... पिता/माता* श्री/श्रीमती/कुमारी
 गांव/कस्बा* जिला/मंडल * राज्य/संघ शासित
 प्रदेश* के को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो
 जाति*/जनजाति से संबंधित है जिसे स्टेशन/संघ शासित प्रदेश* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है जो दिनांक
 द्वारा जारी किया गया है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी*..... और/या*उसका/उसकी*परिवार
सामान्यतः गांव/कस्बे में रहता है* ज़िला/विभाजन*
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* का

जगह.....

हस्ताक्षर.....

तारीख.....

पद का नाम.....

(कार्यालय की मुहर के साथ)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....

*कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं होते। @ कृपया विशिष्ट

राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें।

जो पैराग्राफ़ लागू नहीं है उसे %हटा दें

टिप्पणी: (क) यहां प्रयुक्त शब्द 'सामान्यतया निवास करता है' का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने में सक्षम अधिकारी।

1. जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर / अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडी मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडी मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं) 2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट। 3. राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे नहीं। 4. उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और / या उसका / उसकी परिवार सामान्य रूप से रहता है। 5. केंद्र या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित। 6. प्रशासक / प्रशासक के सचिव (लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)।

ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्र प्रारूप

भारत सरकार के अधीन पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*.....
गांव/कस्बे के के पुत्र/पुत्री* में
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जिला/मंडल*..... अंतर्गत आता है तब
.....समुदायजिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है
भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या दिनांक के अंतर्गत **.

श्री/श्रीमती/कुमारी.....और/या उनके परिवार को सामान्यतः
.....जिला/मंडल में निवास करते हैं
..... राज्य / संघ राज्य क्षेत्र।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।(भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी) की अनुसूची के अनुसार तथा भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था. (आरईएस) के तहत संशोधित)***।

तारीख:

जिला मजिस्ट्रेट/उप आयुक्त/
कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी

कार्यालय मुहर

* कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं होते।

** प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को संकल्प के विवरण का उल्लेख करना होगा

भारत सरकार का आवेदन पत्र, जिसमें अभ्यर्थी की जाति ओबीसी बताई गई है।

***समय-समय पर संशोधित।

टिप्पणी:

a) यहां प्रयुक्त शब्द 'सामान्यतः निवास करता है' का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

b) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए गए हैं:

- जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)।
- मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार और उप-विभागीय अधिकारी के पद से नीचे न हो वह क्षेत्र जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार रहता है।

ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवारों द्वारा स्व-घोषणा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का प्रोफार्मा, जिन्होंने केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचना संख्या 04/2025 के तहत पद के लिए आवेदन किया था।

मैं,पुत्र/पुत्री
 श्री.....गांव/कस्बे/शहर के
 निवासी
जिला..... राज्य
एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं से संबंधित
 हूँ।

(अपनी उपजाति बताएँ) समुदाय से हूँ जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) दिनांक 08.09.1993 में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह भी घोषित किया जाता है कि मैं उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08.03.1993 और उसके बाद दिनांक 27.05.2013 और 13.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था.(आरक्षण) के माध्यम से किए गए संशोधन की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ।

जगह:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर:

तारीख:

अभ्यर्थी का नाम:

सरकार _____
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र
प्रमाण पत्र सं. _____ तारीख: _____

एक वर्ष के लिए वैध _____

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____
_____ का बेटा/बेटी/पत्नी _____
_____ का स्थायी निवासी _____
_____ गाँव/गली _____ पोस्ट ऑफिस
_____ जिला _____

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में _____ पिन कोड _____ जिसका फोटो नीचे प्रमाणित है, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है, क्योंकि उसके/उसके "परिवार" ** की सकल वार्षिक आय* वित्तीय वर्ष के लिए 8 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। _____
_____ उसके/उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है***:

- I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
 - II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
 - (iii) अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
 - IV. 200 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य के समान हैं।
1. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ वह जाति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

आवेदक का हाल ही का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो

हस्ताक्षर एवं मुहर
कार्यालय
नाम:
पद का नाम:

*नोट 1: आय में सभी स्रोत शामिल हैं जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा, आदि।

**नोट 2 इस प्रयोजन के लिए 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

***नोट 3 ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय एक "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को एक साथ जोड़ दिया गया है।

आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए गए हैं:

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/क्लेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो और
- (iv) उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार रहता है।

ईबीसी के लिए आय प्रमाण पत्र

प्रोफार्मा एफया आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय जमा किए जाने वाले परीक्षा शुल्क में छूट

सीईएन संख्या 04/2025

1. अभ्यर्थी का नाम:.....
2. पिता का नाम:
3. आयु:.....
4. आवासीय पता:.....
5. वार्षिक पारिवारिक आय (शब्दों एवं अंकों में):.....

तारीख:.....

हस्ताक्षर:

नाम:

जारीकर्ता प्राधिकारी की मुहर:

नोट: आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से तात्पर्य उन अभ्यर्थियों से होगा जिनकी पारिवारिक आय 50,000/- रुपये प्रति वर्ष से कम है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं:

- (1) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी।
- (2) अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोक सभा के वर्तमान संसद सदस्य।
- (3) जिस जिले में ये हैं, वहां के व्यक्तियों के लिए राज्य सभा के वर्तमान संसद सदस्य सांसद सामान्यतः यहीं रहते हैं।
- (4) देश में कहीं से भी किसी भी व्यक्ति के लिए केन्द्रीय मंत्री।

घोषणा

सीईएन संख्या 04/2025 के तहत दस्तावेज़ सत्यापन के समय अल्पसंख्यक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला परीक्षा शुल्क माफी का प्रोफार्मा

मैं..... बेटा /बेटी

श्री.....निवासी

गांव/कस्बा/शहर.....जिला.....

.....

राज्य.....एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं

..... (केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक

समुदाय अर्थात मुस्लिम/

सिख / ईसाई / बौद्ध / जैन / पारसी।

तारीख:

हस्ताक्षर उम्मीदवार का

जगह:

नाम उम्मीदवार का

नोट: परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय (अर्थात मुस्लिम / सिख / ईसाई / बौद्ध / जैन / पारसी) से संबंधित है।

अनुलग्नक VI

सेक्शन कंट्रोलर के पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को नेत्र विशेषज्ञ से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

मैंने श्रीमती/श्री/कुमारी की जांच कर ली है.....

..... जिसने इसके लिए आवेदन किया है
रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की दृष्टि/रंग दृष्टि की तीक्ष्णता का परीक्षण रेलवे में नियुक्ति के लिए आवश्यक निम्नलिखित मानकों के आधार पर किया गया है।

अभ्यर्थी का स्वयं सत्यापित नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएं जो एक महीने से अधिक पुराना न हो।

फोटो के नीचे दिए गए बॉक्स में उम्मीदवार के हस्ताक्षर

पद	श्रेणी	दूर दृष्टि	निकट दृष्टि	रंग दृष्टि इशियारा
सेक्शन कंट्रोलर	ए-2	6/9, 6/9 बिना चश्मे के (कोई फॉगिंग परीक्षण नहीं)	एसएन0.6/0.6 चश्मे के बिना	सामान्य

श्रीमती/श्री/कुमारी पूरी तरह से अनुरूप है
सेक्शन कंट्रोलर के पद के लिए उपरोक्त दृष्टि मानक लागू होंगे।

टिप्पणी: जिन उम्मीदवारों ने रिफ्रैक्टरी त्रुटि को ठीक करने के लिए लेसिक सर्जरी या किसी अन्य सर्जरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है, वे मेडिकल मानक ए-2 वाले पद के लिए पात्र नहीं हैं।

स्थान:

दिनांक:

नेत्र विशेषज्ञ के हस्ताक्षर.....

नेत्र विशेषज्ञ का नाम

नेत्र विशेषज्ञ का पंजीकरण क्रमांक.....

नेत्र विशेषज्ञ की मुहर

सेक्शन कंट्रोलर के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों द्वारा लेसिक या अन्य सुधारात्मक नेत्र शल्य चिकित्सा के संबंध में सेन संख्या 04/2025 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाने वाला स्व-घोषणा का प्रारूप

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री
..... निवासी
..... एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने
LASIK या कोई अन्य सुधारात्मक नेत्र शल्य चिकित्सा नहीं कराई है।

मैं यह भी सहमत हूँ कि यदि मेरी घोषणा झूठी पाई गई तो मुझे तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तथा रेलवे में सभी भर्तियों से वंचित कर दिया जाएगा।

जगह:

तारीख:

हस्ताक्षर:

.....

नाम:

.....

भूतपूर्व सैनिक के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप

1. यह सूचित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती _____ जो _____ (यूनिट/कार्यालय) में _____ (रैंक) के रूप में कार्यरत हैं, ने _____ (भर्ती एजेंसी का नाम) द्वारा दिनांक _____ विज्ञापन संख्या _____ के तहत विज्ञापित _____ के पद के लिए आवेदन किया है।
2. मैं, उपलब्ध सूचना के आधार पर, श्री/कुमारी/श्रीमती _____ (नाम) संख्या _____ (पद) के संबंध में निम्नानुसार प्रमाणित करता/करती हूँ:-
 - i. वह भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त करने के लिए, अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन, _____ (दिनांक) को _____ वर्ष (शब्दों में) की निर्धारित अवधि पूरी कर लेगा/लेगी। श्री/कुमारी/श्रीमती _____ अनापत्ति प्रमाण पत्र की तिथि को _____ वर्ष (शब्दों में) की सेवा पूरी कर लेगा/लेगी और सैन्य सेवा छोड़ते समय _____ वर्ष (शब्दों में) की सेवा पूरी कर लेगा/लेगी।
 - ii. पद पर चयन होने पर उसे सेवामुक्त कर दिया जाएगा।

जगह:

कमांडिंग ऑफिसर हस्ताक्षर

तारीख:

कार्यालय मुहर

डीओपीटी पत्र संख्या 36012/3/2021-स्था. (आरईएस-II) दिनांक 27.02.2023

भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों द्वारा सिविल रोजगार के संबंध में प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा
पूर्व सैनिक कोटा

मैं समझता/समझती हूँ कि मैं इस केन्द्रीयकृत रोजगार सूचना (सीईएन) के अंतर्गत भर्ती के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किसी रिक्ति पर नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होऊंगा/होगी, यदि मैंने ऐसी नियुक्ति से पहले किसी भी समय भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाकर सिविल सेवा (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि सहित) में कोई रोजगार प्राप्त किया हो।

मैं इसके साथ ही निम्नलिखित तथ्य भी घोषित करता हूँ:

- सीईएन _____ के पदों के लिए दस्तावेज़ सत्यापन में भाग लेने से पहले, मैंने भूतपूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाकर कोई भी सिविल रोजगार हासिल नहीं किया है।
- मैंने सिविल नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाया है और सिविल नौकरी में शामिल होने से पहले, मैंने अपने नियोक्ता को केन्द्रीय रोजगार सूचना _____ में अधिसूचित विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन(ओं) के विवरण के बारे में स्व-घोषणा/वचन-पत्र दिया है। वर्तमान नियोक्ता से स्व-घोषणा/वचन-पत्र प्रस्तुत करने का प्रमाण पत्र संलग्न है।

(जो लागू न हो उसे काट दें)

जगह:

हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

रोल नंबर:

फॉर्म - V

विकलांगता प्रमाणपत्र

(अंगों के विच्छेदन या पूर्ण स्थायी पक्षाघात या बौनेपन और अंधेपन के मामलों में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

विकलांग व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो (केवल चेहरा दिखा रहा है)

प्रमाणपत्र संख्या: दिनांक:

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने सावधानीपूर्वक जांच की है श्री / श्रीमती / कुमारी पुत्र / पत्नी /

पुत्री श्री जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष) आयु वर्ष, पुरुष/महिला

..... पंजीकरण संख्या मकान संख्या वार्ड / गांव / गली

डाकघर जिला राज्य का स्थायी निवासी, जिसका फोटो ऊपर चिपका हुआ है, और मैं

संतुष्ट हूँ कि:

(ए) वह निम्नलिखित का मामला है:

*चलन संबंधी विकलांगता

*बौनापन

*अंधापन

(कृपया लागू होने पर टिक करें)

(बी) उसके मामले में निदान है.....

(1) उसे दिशा-निर्देशों के अनुसार उसके (शरीर के अंग) के संबंध में% (अंक में)

..... प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी चलन विकलांगता / बौनापन / अंधापन है (दिशा-निर्देशों की

..... संख्या और जारी करने की तारीख निर्दिष्ट की जाए)।

(2) आवेदक ने निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तिथि	जारी करने वाले प्राधिकरण का विवरण प्रमाणपत्र

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है

(अधिसूचित के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर)

फॉर्म-VI
विकलांगता प्रमाणपत्र
 (एकाधिक विकलांगता के मामले में)
[नियम 18(1) देखें]
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

प्रमाणपत्र संख्या: दिनांक:

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी की सावधानीपूर्वक जांच की है।

श्री का पुत्र/पत्नी/पुत्री जन्म तिथि
(दिन/माह/वर्ष)

आयु वर्ष, पुरुष/महिला पंजीकरण संख्या

मकान संख्या वार्ड/गांव/गली का स्थायी निवासी

..... डाकघर जिला राज्य

जिनका फोटो ऊपर लगा हुआ है और वे संतुष्ट हैं कि:

(क) वह बहु-विकलांगता का मामला है। उसकी स्थायी शारीरिक दुर्बलता/दिव्यांगता की सीमा का मूल्यांकन दिशानिर्देशों (दिशानिर्देशों की संख्या और जारी करने की तिथि निर्दिष्ट की जाए) के अनुसार किया गया है, जो नीचे दिए गए चिन्हित विकलांगताओं के लिए है और नीचे दी गई तालिका में संबंधित विकलांगता के सामने दर्शाया गया है:

क्र.सं.	विकलांगता	शरीर का प्रभावित हिस्सा	निदान	स्थायी शारीरिक विकलांगता/मानसिक विकलांगता (% में)
1	लोकोमोटर विकलांगता	@		
2	मांसपेशीय दुर्बिकास			
3	कुष्ठ रोग ठीक हो गया			
4	बौनापन			
5	मस्तिष्क पक्षाघात			
6	एसिड अटैक पीड़िता			
7	कम दृष्टि	#		
8	अंधापन	#		
9	बहरा	पाउंड		
10	सुनने में कठिन	पाउंड		
11	वाक् और भाषा विकलांगता			
12	बौद्धिक विकलांगता			
13	विशिष्ट अधिगम विकलांगता			
14	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार			
15	मानसिक बिमारी			
16	क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां			
17	मल्टीपल स्क्लेरोसिस			
18	पार्किंसंस रोग			
19	हीमोफीलिया			
20	थैलेसीमिया			
21	सिकल सेल रोग			

(बी) उपरोक्त के आलोक में, दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी समग्र स्थायी शारीरिक विकलांगता (दिशानिर्देशों की संख्या और जारी करने की तारीख निर्दिष्ट की जानी है) निम्नानुसार है:

आंकड़ों में: प्रतिशत, शब्दों में: प्रतिशत

2. यह स्थिति प्रगतिशील/गैर-प्रगतिशील/सुधार की संभावना/सुधार की संभावना नहीं है।

3. विकलांगता का पुनर्मूल्यांकन इस प्रकार है:

मैं आवश्यक नहीं, या

ii) वर्ष महीने के बाद अनुशंसित किया जाता है, और इसलिए यह प्रमाणपत्र तक वैध होगा। (दिन/माह/वर्ष)

विकलांग व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो (केवल चेहरा दिखा रहा है)

@ उदाहरणार्थ बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर; # उदाहरणार्थ एक आंख/दोनों आंखें; £ उदाहरणार्थ बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

--	--	--

सदस्य का नाम और मुहर

सदस्य का नाम और मुहर

अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है

फार्म-VII
विकलांगता प्रमाणपत्र
(फॉर्म V और VI में उल्लिखित मामलों के
अलावा अन्य मामलों में) [नियम 18(1) देखें]
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

विकलांग व्यक्ति का
हाल ही का पासपोर्ट
आकार का सत्यापित
फोटो
(केवल चेहरा दिखा
रहा है)

प्रमाणपत्र संख्या: दिनांक:

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी की सावधानीपूर्वक जांच की है।

..... पुत्र / पत्नी / पुत्री

श्री जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष)

आयु वर्ष, पुरुष/महिला पंजीकरण संख्या।

..... मकान संख्या वार्ड/गांव/गली का स्थायी
निवासी

डाकघर जिला राज्य, जिसकी तस्वीर लगी हुई है

उपरोक्त और मैं संतुष्ट हूँ कि वह एक मामला है _____ विकलांगता। उसकी प्रतिशतता की सीमा
शारीरिक दुर्बलता/अक्षमता का मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है (.संख्या और जारी करने की
तारीख

नीचे दिए गए चिन्हित विकलांगताओं के लिए दिशानिर्देश (निर्दिष्ट किए जाने हैं) तथा नीचे दी

गई तालिका में प्रासंगिक विकलांगता के सामने दर्शाए गए हैं:

क्र.सं.	विकलांगता	शरीर का प्रभावित हिस्सा	निदान	स्थायी शारीरिक विकलांगता/मानसिक विकलांगता (% में)
1	लोकोमोटर विकलांगता	@		
2	मांसपेशीय दुर्बलता			
3	कुछ रोग ठीक हो गया			
4	मस्तिष्क पक्षाघात			
5	एसिड अटैक पीड़िता			
6	कम दृष्टि	#		
7	बहरा	पाउंड		
8	सुनने में कठिन	पाउंड		
9	वाक् और भाषा विकलांगता			
10	बौद्धिक विकलांगता			
11	विशिष्ट अधिगम विकलांगता			
12	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार			
13	मानसिक बिमारी			
14	क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ			
15	मल्टीपल स्क्लेरोसिस			
16	पार्किंसंस रोग			
17	हीमोफीलिया			
18	थैलेसीमिया			
19	सिकल सेल रोग			

(कृपया उन विकलांगताओं को काट दें जो लागू नहीं होती हैं)

(बी) उपरोक्त के आलोक में, दिशानिर्देशों (निर्दिष्ट किए जाने वाले) के अनुसार उसकी समग्र

स्थायी शारीरिक विकलांगता निम्नानुसार है:

आंकड़ों में: प्रतिशत, शब्दों में प्रतिशत

2. यह स्थिति प्रगतिशील/गैर-प्रगतिशील/सुधार की संभावना/सुधार की संभावना नहीं है।

3. विकलांगता का पुनर्मूल्यांकन इस प्रकार है:

i) आवश्यक नहीं, या

ii) अनुशंसित है/बाद में वर्ष महीनों, और इसलिए यह प्रमाण पत्र होगा

तक मान्य (दिन/माह/वर्ष)

@ उदाहरणार्थ बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर; # उदाहरणार्थ एक आंख/दोनों आंखें; £ उदाहरणार्थ बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

प्रतिहस्ताक्षरित [(यदि प्रमाण पत्र किसी ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो सीएमओ / चिकित्सा अधीक्षक / सरकारी अस्पताल के प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर और मुहर (मुहर सहित)]		(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) (नाम और मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान
जिसके पक्ष में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी
किया गया है

नोट: यदि यह प्रमाणपत्र किसी ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो यह केवल तभी मान्य होगा जब उस पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया गया हो। मूल नियम भारत के राजपत्र में
संख्या दिनांक दिसंबर द्वारा

स्क्राइब का उपयोग करने के लिए वचन पत्र

नो

ट: 1. दृष्टिहीनता, गति-संचालन विकलांगता दोनों हाथ प्रभावित - बीए) और मस्तिष्क पक्षाघात (सेरेब्रल पाल्सी) श्रेणी में मानक विकलांगता वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि व्यक्ति चाहे तो, लेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक VIII(डी) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद लेखक की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

2. बेंचमार्क विकलांगता वाले अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर लेखक की सुविधा दी जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए लेखक आवश्यक है। अभ्यर्थी अनुलग्नक VIII(जी) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और अनुलग्नक VIII(डी) के अनुसार वचन पत्र परीक्षा केंद्र पर जमा करने के बाद लेखक की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

3. 40% से कम विकलांगता वाले दिव्यांगजन (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं) और लिखने में कठिनाई होने पर, वे भी परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक VIII(ई) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और अनुलग्नक VIII(एफ) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए लेखक की सहायता ले सकते हैं।

उम्मीदवार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित लेखक का विवरण

1. अभ्यर्थी का नाम.....
2. रोल नं.....
3. सीवीटी का नामकेंद्र.....
4. योग्यता अभ्यर्थी.....
5. विकलांगता का प्रकार.....
6. लेखक का नाम
- 6ए) आरआरबी के साथ मेरा स्क्राइब वनटाइम पंजीकरण नंबर (ओटीआर) है:
7. जन्म तिथिलेखक.....
8. पिता का नामलेखक.....
9. लेखक का पता:
(ए) स्थायी पता.....
(बी) वर्तमान पता.....
10. लेखक की शैक्षिक योग्यता.....
11. लेखक का अभ्यर्थी से सम्बन्ध (यदि कोई हो तो).....

यहां लेखक का हाल ही का रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं।
आकार 3.5 सेमी x 4.5 सेमी (रंगफोटोग्राफ दो महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)

12. घोषणा:

- i) हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। हमने इस परीक्षा में स्क्राइब/स्क्राइबों द्वारा सहायता प्राप्त अभ्यर्थियों के आचरण के संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड के निर्देश पढ़ लिए हैं/हमें पढ़कर सुनाए गए हैं और हम उनका पालन करने का वचन देते हैं।
- ii) हम घोषणा करते हैं कि स्क्राइब स्वयं इस परीक्षा में अभ्यर्थी नहीं है। हम समझते हैं कि यदि ऐसा नहीं पाया जाता है, तो हम दोनों की उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।
- iii) हम घोषणा करते हैं कि लेखक ने इस परीक्षा में किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए लेखक के रूप में कार्य नहीं किया है/नहीं करेगा।
- iv) हम घोषणा करते हैं कि लेखक की शैक्षिक योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि लेखक की योग्यता लेखक द्वारा घोषित योग्यता के अनुरूप नहीं है, और यह परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से अधिक है, तो अभ्यर्थी पद और उससे संबंधित दावों से वंचित हो जाएगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

उम्मीदवार निरीक्षक के हस्ताक्षर

(लेखक के हस्ताक्षर)

बाएं अंगूठे का निशान
ऊपर दिए गए बॉक्स में

बाएं अंगूठे का निशान
ऊपर दिए गए बॉक्स में लिखें

परिभाषा के अंतर्गत निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, अर्थात् 40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने श्रीमान/सुश्री/श्रीमती (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री की जांच की है।

....., एनिवासी (गांव/पीओ/पीएस/जिला/राज्य), आयु

.....साल, एक व्यक्ति जिसके पास

..... (प्रकृति

विकलांगता/स्थिति), और यह बताना कि उसकी कोई सीमा है जो उसकी लेखन क्षमता में बाधा डालती है उसके ऊपर

उसे परीक्षा लिखने के लिए लेखक की सहायता की आवश्यकता होती है।

2. उपरोक्त उम्मीदवार कृत्रिम अंग जैसे सहायक उपकरण का उपयोग करते हैं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम निर्दिष्ट किया जाए) जो अभ्यर्थी के लिए लेखक की सहायता से परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाणपत्र केवल भर्ती एजेंसियों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में उपस्थित होने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और यह तक वैध है।

(यह अधिकतम छह महीने या उससे कम अवधि के लिए वैध है, जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है)।

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)
आर्थोपेडिक/पीए मआर SPECIALIST	नैदानिक मनोविज्ञानी/पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक / विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	व्यावसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध)	अन्य विशेषज्ञ, जैसे द्वारा नामित अध्यक्ष (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर एवं नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम मुहर सहित

जगह:

तारीख:

40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया वचन पत्र

यहां लेखक का हाल ही का रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएं, जिसका आकार 3.5 सेमी x 4.5 सेमी हो (रंगीन फोटोग्राफ दो महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)।

उपरोक्त बॉक्स में लेखक के हस्ताक्षर (अर्थात फोटोग्राफ के नीचे वाले बॉक्स में)

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया वचन पत्र, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले व्यक्ति, अर्थात 40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति।

1. मैं ----- (विकलांगता/स्थिति की प्रकृति) वाला अभ्यर्थी हूँ, जो ----- परीक्षा में शामिल हो रहा हूँ।
(परीक्षा का नाम) रोल नंबर ----- के साथ जिले में ----- (केंद्र का नाम) पर -----,
(राज्य का नाम) मेरी शैक्षिक योग्यता है.....
2. मैं यहां यह बता रहा हूँ कि ----- (लेखक का नाम) अधोहस्ताक्षरी के लिए लेखक की सेवा उपलब्ध कराएगा।
उपर्युक्त परीक्षा.
3. मैं एतद्वारा वचन देता/देती हूँ कि उसकी योग्यता ----- है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी योग्यता नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा घोषित योग्यता के अनुरूप नहीं है और मेरी योग्यता से परे है, तो मैं पद या प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री और उससे संबंधित दावों पर अपना अधिकार खो दूंगा/दूंगी।
4. आरआरबी के साथ मेरा स्क्राइब वनटाइम पंजीकरण नंबर (ओटीआर) है।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(यदि अभ्यर्थी नाबालिग है तो माता-पिता/संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर)

जगह:

तारीख:

परीक्षार्थी की शारीरिक अक्षमता के संबंध में प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि, मैंने श्रीमान/सुश्री/श्रीमती की जांच की है (विकलांग उम्मीदवार का नाम),
एक व्यक्ति _____ (विकलांगता प्रमाण पत्र में
उल्लिखित विकलांगता की प्रकृति और प्रतिशत), पुत्र/पुत्री _____, का निवासी
_____ (गांव/जिला/राज्य) और यह
बताना होगा कि उसकी शारीरिक सीमाएं हैं जो उसकी विकलांगता के कारण उसकी लेखन क्षमता में बाधा
डालती हैं

हस्ताक्षर
किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान का मुख्य चिकित्सा
अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

नाम और पदनाम

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम मुहर सहित

जगह:

तारीख:

नोट: प्रमाण पत्र संबंधित स्ट्रीम/विकलांगता के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाना चाहिए (जैसे दृश्य हानि
- नेत्र रोग विशेषज्ञ, लोकोमोटर विकलांगता-हड्डी रोग विशेषज्ञ/पीएमआर)।

*** (किसी भी संदेह अथवा विरोधाभास की परिस्थिति में अंग्रेजी वर्तन मान्य होगा) ***